निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लबों के लिए सामान्य पुस्तिका

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और शब्दावली

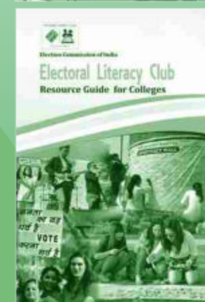

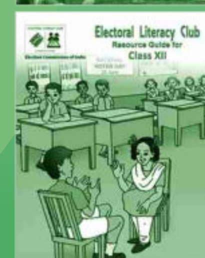

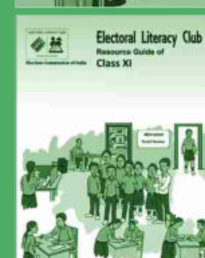

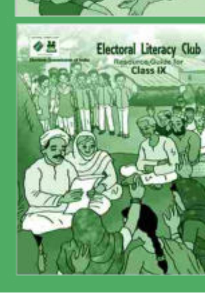

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लबों के लिए सामान्य पुस्तिका

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और शब्दावली

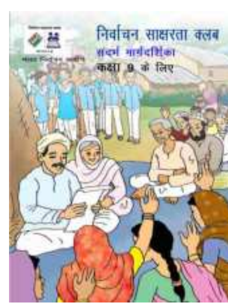

Published in 2018 by the Election Commission of India
Nirvahcan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, 110001
Re Print- 2019

Text, Photographs and Illustrations
Copyright © Election Commission of India

विषय सूची

भाग 1 : प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों की निर्देशिका------------------ 05

1. पंजीकरण और मतदान -------------------------------------- 05
2. निर्वाचन-तंत्र -- 15
3. ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी.----------------------------------- 19
4. राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन ---------- 38
5. सेवा मतदाता (डाक मतपत्र व ई.टी.पी.बी.)------------------ 51
6. विदेशों में रहने वाले निर्वाचक---------------------------------60
7. राजनीतिक दल -- 67

भाग 2 : शब्दावली --- 72

कोई मतदाता न छूटे

भाग 1: प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों की निर्देशिका

1. पंजीकरण और मतदान
2. निर्वाचन तंत्र
3. ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी.
4. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन
5. सेवा मतदाता
6. विदेशों में रहने वाले मतदाता
7. राजनीतिक दल

पंजीकरण और मतदान

प्रश्न 1 – भारत में निर्वाचकों की मुख्य श्रेणियाँ कौन सी हैं ?

उत्तर – भारत के निर्वाचकों की तीन श्रेणियाँ हैं– (1) सामान्य निर्वाचक, (2) विदेशों में रहने वाले (अनिवासी भारतीय– एन. आर.आई.) निर्वाचक (3) सेवा निर्वाचक

प्रश्न 2 – सामान्य निर्वाचन के रूप में पंजीकृत होने के लिए कौन व्यक्ति पात्र है ?

उत्तर – सभी भारतीय नागरिक, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, वे सम्बन्धित चुनाव–क्षेत्र के उस मतदान केन्द्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र हैं, जहाँ वे सामान्यतः निवास करते हैं। पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किसी अन्य कारण से अपात्र न मान लिए गए हों। निर्धारित तिथि निर्वाचक नामावली में संशोधन किए जाने वाले वर्ष की पहली जनवरी है।

प्रश्न 3 – 18 वर्ष की उम्र को निर्धारित करने की सुसंगत तिथि कौन सी है ? क्या मैं अपने आपको उस दिन मतदाता के रूप में पंजीकृत करवा सकता हूँ, जिस दिन मैं 18 वर्ष का पूरा हो गया/गयी ?

उत्तर – जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 (बी) के अनुसार, आवेदक की उम्र का निर्धारण करने के लिए सुसंगत तिथि (निर्धारित तिथि) उस वर्ष की पहली जनवरी है, जिस वर्ष संशोधन के उपरान्त निर्वाचक नामावली का अन्तिम रूप से

प्रकाशन होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 2 जनवरी, 2013 से 1 जनवरी, 2014 के बीच किसी भी दिन 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, तो आप जनवरी 2014 में अन्तिम रूप से प्रकाशित होने वाली निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं।

प्रश्न 4 – क्या कोई ऐसा व्यक्ति भारत में निर्वाचक नामावली में मतदाता बन सकता है, जो भारत का नागरिक न हो ?

उत्तर – नहीं! कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति भी भारत में निर्वाचक नामावली में नामांकित होने के लिए पात्र नहीं हैं, जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार की हो, और इस कारण, उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई हो।

प्रश्न 5 – क्या कोई अनिवासी भारतीय, जो विदेश में बस गया हो, भारत की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक बन सकता है ?

उत्तर – हाँ। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 ए, में हुए सं ाोधन – जन प्रतिनिधत्व अधिनियम (संशोधन), 2010 – के अनुसार भारत का कोई नागरिक, जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं स्वीकार की है, और मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है, और जो रोजगार, शिक्षा के लिए या किसी अन्य कारण से भारत में सामान्यतः अपने रहने के स्थान से अनुपस्थित है, भारत में उस निर्वाचन.क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हाने के लिए पात्र है, जिसमें उसके पासपोर्ट के अनुसार उसका निवास स्थान पड़ता हो। (अधिक जानकारी के लिए इस पुस्तक में पृष्ठ 60 से 65 तक 'विदेशों में रहने वाले निर्वाचक' के अन्तर्गत दिए गए प्रश्नों को देखें।)

प्रश्न 6 – कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में किस तरह पंजीकृत/ नामांकित होता है ?

उत्तर – उसे फॉर्म 6 भरकर आवेदन करना होगा। पर आवेदन पत्र वह उस चुनाव क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करेगा, जिसमें उसका सामान्यतः निवास स्थान है। उपयुक्त अभिलेख संलग्न कर आवेदन पत्र सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/

सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है या डाक से भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा, आवेदन पत्र अपने मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफीसर को भी दिया जा सकता है। सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी अथवा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक अभिलेखों की प्रतियाँ भी अपलोड कर देनी चाहिए।

प्रश्न 7 – फॉर्म 6 कहाँ से मिल सकता है ?

उत्तर – यह भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से या www.nvsp.in से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म 6 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय से और सम्बन्धित मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफीसर से भी निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 8 – फॉर्म 6 के साथ कौन से अभिलेख लगाने पड़ते हैं ?

उत्तर – फॉर्म 6 में निर्धारित स्थान पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना होता है। इसके साथ.साथ उम्र और निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी लगानी होती हैं। आयु और निवास सम्बन्धी कौन से प्रमाण पत्र मान्य हैं, इसकी सूची फॉर्म 6 में लगे दिशा–निर्देशों में दी गई है। फॉर्म 6 भरने के लिए इन दिशा–निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

प्रश्न 9 – मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। क्या बिना राशन कार्ड के मेरा पंजीकरण हो सकता है? ऐसे कौन–कौन से अन्य अभिलेख हैं, जिन्हें मैं निवास प्रमाण पत्र के रूप में दे सकता हूँ ?

उत्तर – यदि किसी आवेदक के पास राशन कार्ड नहीं है, तो वह फार्म 6 के दिशा–निर्देशों में दी गई निवास प्रमाण पत्रों की सूची के अनुसार अन्य प्रमाण भी जमा कर सकती/सकता है।

प्रश्न 10 –यदि आवेदक की उम्र 21 साल से अधिक है, तो भी क्या उसे उम्र प्रमाणित करने के लिए कोई अभिलेख देना होता है ?

उत्तर – उम्र प्रमाणित करने के लिए अभिलेखों की जरूरत केवल उन मामलों में होती है, जहाँ आवेदक की उम्र 18 से 21 साल के बीच की है। अन्य मामलों में आवेदक द्वारा अपनी उम्र के सम्बन्ध में दिया गया घोषणा पत्र आयु के प्रमाण के रूप में मान्य होता है।

प्रश्न 11– यदि कोई आवेदक 18 से 21 साल के बीच की उम्र का/की है, पर उसके पास उम्र/जन्मतिथि के सम्बन्धित कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ कौन सा अभिलेख जमा करेगी/करेगा ?

उत्तर – यदि 18 से 21 साल के बीच की उम्र के किसी आवेदक के पास आयोग के दिशा–निर्देशों में दिए गए उम्र के सम्बन्धित प्रमाण पत्रों में से कोई भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह निर्धारित प्रपत्र पर एक घोषणा पत्र पर जमा कर सकती/सकता है। यह प्रपत्र फॉर्म 6 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों में संलग्नक 1 पर दिया गया है, जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह घोषणा पत्र आवेदक के माता/पिता द्वारा दिया जाएगा। यदि आवेदक अन्य श्रेणी (किन्नर) का है, तो गुरु द्वारा दिया गया घोषणा पत्र मान्य होगा। यदि उम्र के प्रमाण के रूप में माता/पिता द्वारा दिया गया घोषणा पत्र जमा किया गया है तो आवेदक को बूथ लेवल ऑफीसर/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के सामने सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। इसके अलावा, यदि उपर्युक्त में से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तथा माता और पिता जीवित नहीं है तो आवेदक सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच या सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/विधान मंडल/संसद के सदस्य द्वारा दिया गया उम्र का प्रमाण पत्र संलग्न कर सकती/सकता है।

प्रश्न 12– मैं विद्यार्थी हूँ तथा अपने निवास स्थान से दूर छात्रावास/ मेस में रहकर पढ़ाई कर रहा हूं। मैं अपने वर्तमान पते पर अपना पंजीकरण करवाना चाहता हूं। मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर – यदि कोई विद्यार्थी अपने निवास स्थान से दूर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित छात्रावास/मेस में या कहीं दूसरी जगह

रहकर पढ़ाई कर रहा है तो उसके पास स्वयं को निर्वाचक के रूप में पंजीकरण कराने के दो विकल्प हैं– या तो वह अपने निवास स्थान पर अपने माता–पिता के साथ अपना पंजीकरण करा ले या उस छात्रावास/मेस के पते पर अपना पंजीकरण करा ले, जहाँ रहकर वह पढ़ाई कर रहा/रही है। जिस कोर्स की वह विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा/रही है, वह एक वर्ष से कम अवधि का नहीं चाहिए तथा केन्द्र/राज्य सरकार/शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जो विद्यार्थी छात्रावास/मेस के पते पर अपना पंजीकरण कराना चाहती/चाहता है, उसे अपने शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/निदेशक/ कुलसचिव अधिष्ठाता का इस आशय का प्रमाण पत्र फॉर्म 6 के साथ जमा करना होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म 6 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों के संलग्नक II पर उपलब्ध है।

प्रश्न 13– यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए तो पात्र है, पर उसके पास घर नहीं है, तो निवास प्रमाण पत्र भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसके सत्यापन की क्या प्रकिया होगी ?

उत्तर – बेघर व्यक्तियों के मामले में, बूथ लेवल ऑफीसर रात में उस पते पर जाएँगे, जो उसने फॉर्म 6 में भरा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह रात में सचमुच उसी स्थान पर रहता/रहती है, जो उसने फॉर्म में भरा है। यदि बूथ लेवल ऑफीसर यह प्रमाणित कर देते हैं कि वह बेघर व्यक्ति रात में सचमुच उसी स्थान पर रहता/रहती है तो किसी लिखित अभिलेख की जरूरत नहीं है। इस तरह के सत्यापन के लिए बूथ लेवल ऑफीसर को एक से ज्यादा रातों में उस स्थान पर जाना चाहिए।

प्रश्न 14– मैं एक किरायेदार हूँ, और मेरा मकान मालिक नहीं चाहता कि मैं पंजीकरण कराऊँ। मैं मतदाता के रूप में कैसे पंजीकृत हो सकता/सकती हूँ ?

उत्तर – मतदाता सूची में नामांकित होना आपका वैधानिक अधिकार है। कृपया अपने क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को जाँच लें। यह

निर्वाचन आयोग/राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। यदि आपका नाम नामावली में नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर उसे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/बूथ लेवल ऑफीसर के पास जमा कर दें।

प्रश्न 15– दावे के आवेदन पत्रों और आपत्तियों पर विचार करने के लिए कौन अधिकृत होता है ?

उत्तर – सम्बन्धित निर्वाचक.क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी।

प्रश्न 16– निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी का पत्र.व्यवहार का पता कहाँ से मिल सकता है ?

उत्तर – सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के पत्र.व्यवहार के पते भारत निर्वाचन आयोग/सम्बन्धित राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट से मिल सकते हैं। (उनसे जुड़ने के लिंक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दिए गए हैं।)

प्रश्न 17– यदि मैं ऑनलाइन आवेदन करूँ तो क्या मुझे हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म 6 और उसके साथ के आवश्यक अभिलेख निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पते पर भी भेजने पड़ेंगे ?

उत्तर – नहीं। जैसे ही निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को ऑनलाइन फॉर्म 6 मिलता है, वे फॉर्म तथा उसके साथ के अभिलेखों को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर वे बूथ लेवल ऑफीसर को आपके निवास.स्थान पर जाकर सत्यापित करने और आवेदन पत्र पर आपके हस्ताक्षर लेने के लिए निर्देशित करते हैं।

प्रश्न 18– निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई का नोटिस कहाँ भेजा जाएगा ?

उत्तर – निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी आवेदक के उस देश के पते पर नोटिस भेजेंगे, जो उसने बताया है, और जहाँ वह वर्तमान में रह रहा है। इस तरह यह माना जाएगा कि आवेदक को नोटिस प्राप्त हो गया है।

प्रश्न 19– क्या आवेदक या सुनवाई वाले पक्षों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है ? यदि हाँ, तो सुनवाई किस तरह से की जाएगी ?

उत्तर – सामान्यतः सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है। फॉर्म 6 मिलने के बाद निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी उस फॉर्म की प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर लगाएँगे, ताकि यदि किसी की कोई आपत्ति हो तो वह बता दे। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सम्बन्धित बूथ लेवल ऑफीसर को आवेदक के निवास–स्थान पर जाकर आवेदक से, उनके रि तेदारों से या पड़ोसियों से (यदि कोई हों) आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं को सत्यापित करने के लिए कह सकते हैं। यदि फॉर्म 6 पूरी तरह भरा हुआ है, उसके साथ सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतियाँ लगी हैं, और एक सप्ताह के निर्धारित समय के अन्दर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सम्बन्धित बूथ लेवल ऑफीसर द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद आवेदक का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने का आदेश दे सकते हैं। यदि नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 में किए गए दावों पर किसी को कोई आपत्ति है तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी इस सम्बन्ध मे आवेदक और आपत्तिकर्ता की दलीलों को सुनेंगे।

प्रश्न 20– दावों और आपत्तियों की सूची कहाँ देखी जा सकती है?

उत्तर – यह सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यह निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

प्रश्न 21– किसी आवेदक को कैसे पता चलेगा कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में जुड़ गया है ?

उत्तर – निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के निर्णय की सूचना आवेदक को डाक द्वारा उस पते पर भेज दी जाएगी, जो उसने फॉर्म 6 में लिखा है। इसके अलावा उसे एस.एम.एस. से भी उस फोन नम्बर पर सूचना दी जाएगी, जो उसने फॉर्म 6 में भरा है। निर्वाचक नामावलियाँ सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन

अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती हैं, और इन्हें कोई भी देख सकता है।

प्रश्न 22— यदि निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के विवरणों में कोई गलतियाँ हैं, तो उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है ?

उत्तर — निर्वाचक नामावली की गलतियों में सुधार के लिए फॉर्म 8 ऑनलाइन भरना चाहिए या इस भरकर सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए।

प्रश्न 23— मैं अपने निवास स्थान के जिस पते से निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हूँ, वहाँ से किसी दूसरी जगह चला गया/ गयी हूँ। मैं यह कैसे सुनिश्चित करूँ कि मेरा अपने नए निवास स्थान पर पंजीकरण हो गया है ?

उत्तर — यदि आपका नया निवास—स्थान उसी निर्वाचन—क्षेत्र में है तो फॉर्म 8 ए भर दें। यदि किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में है तो फॉर्म 6 ऑनलाइन भर दें या इसे भरकर उस निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करें, जिसके क्षेत्र में आपका नया निवास—स्थान पड़ता हो।

प्रश्न 24— मैं अपने निवास पर हाल में आया हूँ। मेरे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) पर पुराना पता दर्ज है। क्या मैं अपने वर्तमान पते पर नया निर्वाचक फोटो पहचान पत्र ले सकता हूँ ?

उत्तर — सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका नाम उस विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, जिसमें आपका नया निवास—स्थान पड़ता है ? यद्यपि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में पता बदलवाना जरूरी नहीं है, पर, फिर भी, यदि आप पता बदलवाना ही चाहते हैं तो अपने नए निर्वाचन—क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास 25 रुपये शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी आपको नए पते के साथ नया निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी कर देंगे। पर उसका क्रमांक वही रहेगा, जो आपके पुराने पहचान पत्र में था।

प्रश्न 25— मेरे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में कुछ गलतियाँ हैं, सही विवरणों के साथ नया पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर – अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में सुधार के लिए आप फॉर्म 8 भरकर जमा कर सकते हैं। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी विवरणों में आवश्यक सुधार करके नया पहचान पत्र जारी कर देंगे, पर उसमें क्रमांक वही रहेगा, जो आपके पहले वाले पहचान पत्र में था।

प्रश्न 26– मेरा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र खो गया है ? मैं नया पहचान पत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ।

उत्तर – आपको दूसरा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा सकता है, पर इसके लिए आपको अपने पहचान पत्र के खोने की पुलिस रिपोर्ट और 25 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। यदि आपका पहचान पत्र ऐसी स्थितियों में खोया है, जिन पर आपका कोई वश नहीं है, जैसे – बाढ़, आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो आपको शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा।

प्रश्न 27– निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने पर आपत्तियाँ कौन उठा सकता है ?

उत्तर – कोई भी व्यक्ति, जो उस निर्वाचन–क्षेत्र का मतदाता हो, इस आधार पर आपत्ति कर सकता है कि जिस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया गया है या शामिल किया जाना प्रस्तावित है, वह उस निर्वाचन–क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं है। आपत्तियों के लिए फॉर्म 7 भरकर उपयुक्त प्रमाणों के साथ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा किया जाना चाहिए।

प्रश्न 28– मेरे पड़ोसी/रिश्तेदार अपना निवास.स्थान बदलकर एक नई जगह चले गए हैं, पर उनका नाम अभी भी निर्वाचक नामावली में लिखा है। निर्वाचक नामावली से उनका नाम हटाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा ?

उत्तर – निवास–स्थान बदलने/मृत्यु हो जाने/लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाचक नामावली से निर्वाचक का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना होता है। यदि नाम दो बार आ गया है तो उसे हटाने के लिए भी फॉर्म 7 ही भरा जाता है।

प्रश्न 29– निर्वाचक नामावली में किस समय पंजीकृत हुआ जा सकता है। क्या नामांकन साल भर होता रहता है ?

उत्तर – सामान्यतया निर्वाचन आयोग हर साल सितम्बर–अक्टूबर में निर्वाचक नामावली को संशोधित करने का आदेश देता है। ये संशोधित नामावलियाँ आने वाले वर्ष के जनवरी महीने के पहले सप्ताह में अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाती हैं। कोई भी व्यक्ति नाम दर्ज कराने के अपने दावे का आवेदन पत्र (फॉर्म 6) निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नामित अधिकारी के पास उस अवधि में जमा कर सकता/सकती है, जो दावा और आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए नियत किया गया हो। वैसे, अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के बाद भी नामावलियों को निरंतर अद्यतन बनाया जाता है। अतः कोई व्यक्ति इस निरंतर अद्यतन बनाए जाने की प्रक्रिया के दौरान भी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास अपने दावे का आवेदन पत्र देकर पंजीकरण करा सकता है।

प्रश्न 30– क्या किसी का एक से अधिक जगहों पर नामांकन हो सकता है ? यदि मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ/रही हूँ, तो क्या मैं उत्तराखण्ड में अपने जन्म–स्थान में निर्वाचक हो सकता/सकती हूँ ?

उत्तर – जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 व 18 में किए गए प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जगहों पर मतदाता के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। इसी तरह, कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार निर्वाचक के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। नामांकन के लिए आवदेन करते समय व्यक्ति को यह घोषणा करनी पड़ती है/बताना पड़ता है कि क्या उसका नाम किसी दूसरे निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है ? यदि उसका कथन/घोषणा असत्य है, और यह बात आवेदक या तो जानता है या उसे विश्वास है कि यह असत्य है या उसे विश्वास नहीं है कि यह सत्य है, तो वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत दण्ड का भागी है।

प्रश्न 31– यदि मुझे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के आदेश के खिलाफ कोई शिकायत करनी है तो इसकी अपील कहाँ की जा सकती है ?

उत्तर – संशोधन की अवधि के दौरान आप जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील दाखिल कर सकते हैं। निरंतर अद्यतन बनाए जाने की प्रक्रिया के दौरान दिए गए आवेदन पत्र से सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अधिशासी मजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी के पास की जाएगी। अपीलीय प्राधिकारी के खिलाफ आगे की अपीलीय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास की जाएगी।

निर्वाचन तंत्र

प्रश्न 1– संसद/राज्यों की विधान सभाओं व विधान परिषदों तथा भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का चुनाव कराने का दायित्व किस संस्था का है ?

उत्तर – संसद, राज्यों की विधानसभाओं व विधान परिषदों तथा भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का चुनाव कराने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग निभाता है।

प्रश्न 2 – निगमों, नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों, जैसे– जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का दायित्व किस संस्था का है?

उत्तर – राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयोग निगमों, नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का दायित्व निभाते हैं।

प्रश्न 3 – वर्तमान में निर्वाचन आयोग की संरचना किस प्रकार की है ?

उत्तर – वर्तमान में निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दो निर्वाचन आयुक्त।

प्रश्न 4 – राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर निर्वाचन–प्रक्रिया का प्रभारी कौन होता है ?

उत्तर – राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में निर्वाचन–प्रक्रिया के प्रभारी सी. ई.ओ. या, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं।

प्रश्न 5 – जिला–स्तर पर निर्वाचन–प्रक्रिया का प्रभारी कौन होता है ?

उत्तर – जिला–स्तर पर निर्वाचन–प्रक्रिया के प्रभारी जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं।

प्रश्न 6– किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन.क्षेत्र में चुनाव कराने का दायित्व किसके पास होता है ?

उत्तर – संसदीय या विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र में चुनाव कराने का दायित्व आर. ओ. या, निर्वाचन अधिकारी का होता है।

प्रश्न 7– संसदीय और विधानसभा निर्वाचन.क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियाँ कौन तैयार करवाता है ?

उत्तर – संसदीय और विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करवाने का दायित्व ई.आर.ओ. या, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी का होता है।

प्रश्न 8 – मतदान–केन्द्र पर मतदान कौन सम्पन्न करवाता है ?

उत्तर – मतदान–केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों के साथ मिलकर मतदान सम्पन्न करवाते हैं।

प्रश्न 9 – भारत की संसद की संरचना किस प्रकार की है ?

उत्तर – संसद में भारत के राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं– राज्य सभा और लोक सभा।

प्रश्न 10– भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है ?

उत्तर – भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक–मण्डल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक.मण्डल में संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों व दिल्ली और पुडुचेरी केन्द्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

प्रश्न 11– वर्तमान में राज्य सभा में कुल कितने सदस्य हैं ?

उत्तर – कुल 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 मनोनीत सदस्य हैं और 233 चुने हुए सदस्य।

प्रश्न 12– राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है ?

उत्तर – राज्यों की विधान–सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

प्रश्न 13– राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है ?

उत्तर – भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं।

प्रश्न 14– लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ?

उत्तर – सामान्य कार्यकाल – 5 वर्ष।

प्रश्न 15– एक संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं ?

उत्तर – एक। हर एक संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के केवल एक सदस्य चुना जाएगा।

प्रश्न 16– भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था ?

उत्तर – भारत में पहला आम चुनाव 1951–1952 में हुआ था।

प्रश्न 17– लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है ?

उत्तर – लोकसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है।

प्रश्न 18 – लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है ?

उत्तर – **25** वर्ष।

प्रश्न 19 – क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी उम्मीदवार हो सकता है, जो देश का नागरिक न हो ?

उत्तर – नहीं। चुनाव में कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता, जो देश का नागरिक न हो।

प्रश्न 20– यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, और उसे 3 वर्ष की सजा हुई हो तो क्या वह चुनाव लड़ सकता/सकती है ?

उत्तर – नहीं।

प्रश्न 21– क्या कोई ऐसा व्यक्ति, जो जेल में है, चुनाव में वोट दे सकता है ?

उत्तर – नहीं।

प्रश्न 22– किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए कोई आपको धन देने की पेशकश करता है। क्या ऐसे धन को स्वीकार कर सकते हैं ?

उत्तर — नहीं। किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए धन स्वीकार करना रिश्वखोरी के भ्रश्ट आचरण में आता है।

प्रश्न 23— मतदान के दिन क्या कोई किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से वोट दे सकता है ?

उत्तर — नहीं। मतदान के दिन कोई भी किसी दूसरे के नाम से वोट नहीं दे सकता, चाहे इसके लिए उसकी सहमति ही क्यों न हो। यदि कोई ऐसा करता है तो वह छद्मवेश का आचरण माना जाएगा, जो एक अपराध है।

प्रश्न 24— यदि किसी का नाम एक से अधिक जगह दर्ज हो गया हो (गलती से), तो क्या वह एक से अधिक बार वोट दे सकता है ?

उत्तर — नहीं। कोई भी एक बार से अधिक वोट नहीं दे सकता, भले ही उसका नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज हो गया हो। यदि कोई ऐसा करता है तो वह छद्मवेश के लिए दोशी माना जाएगा।

प्रश्न 25— भारत में 543 संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र हैं, जिनमें से हर एक से एक सदस्य चुना जाता है। इन निर्वाचन–क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण कौन करता है ?

उत्तर — परिसीमन आयोग।

प्रश्न 26— लोकसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आवंटन मुख्य रूप से किस आधार पर होता है ?

उत्तर — लोकसभा की सीटों के आवंटन का आधार राज्य की जनसंख्या है।

प्रश्न 27— मतगणना और परिणामों की घोषणा करने का दायित्व किसका है

उत्तर — निर्वाचन अधिकारी का।

प्रश्न 28— आदर्श आचार–संहिता क्या है ?

उत्तर — आदर्श आचार–संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदशन के लिए बनाए गए कुछ नियम–कायदे हैं, जो राजनीतिक दलों की आम सहमति के बनाए गए हैं।

राजनीतिक दलों ने इस आचार–संहिता में दिए गए सिद्धान्तों को मानने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है तथा वे सभी इसकी मूल आत्मा का सम्मान करने और इसका अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ई.वी.एम. और वी.वी.पी.ए.टी.

प्रश्न 1– इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? इसकी कार्यप्रणाली किस तरह से मतदान की परम्परिक पणाली से भिन्न है ?

उत्तर – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) मतों को दर्ज करने का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दो इकाइयों से बनी होती हैं– एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट– जो पाँच मीटर लम्बे तार से जुड़ी होती हैं। नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है। और बैलट यूनिट को मतदाना कम्पार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। मतपत्र जारी करने के बजाय, कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर मतपत्र बटन दबाकर एक मतपत्र जारी करेंगे। इससे मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी और प्रतीक के सामने बैलेट यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपना वोट डाल सकेगा।

प्रश्न 2 – ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का निर्वाचनों में पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था ?

उत्तर – ई.वी.एम. का पहली बार 1982 में केरल के 70–पारुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया था।

प्रश्न 3 – जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है, वहां ई.वी.एम. का उपयोग कैसे किया जा सकता है ?

उत्तर – ई.वी.एम. के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती ई.वी.एम. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड/इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, द्वारा जोड़ी गई एक साधारण बैटरी पर चलती है।

प्रश्न 4 – ई.वी.एम. में अधिकतम कितने वोट दर्ज किए जा सकते हैं ?

उत्तर – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग की जा रही ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) अधिकतम 2000 मत दर्ज कर सकती है।

प्रश्न 5 – अभ्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके लिए ई.वी. एम. काम कर सकती है ?

उत्तर – एम2 ई.वी.एम. (2006–10) के मामले में ई.वी.एम. से नोटा सहित अधिकतम 64 अभ्यार्थियों के लिए प्रावधान होता है। यदि अभ्यार्थियों की कुल संख्या 16 से अधिक है, तो 4 बैलेटिंग यूनिटों को जोड़कर अधिक से अधिक 64 अभ्यार्थियों तक के लिए एक से अधिक बैलटिंग इकाईयां (16 अभ्यार्थि पर एक) जोड़ी जा सकती है। हालांकि, एम3 ई.वी.एम. (2013 के बाद) के मामले में, ई.वी.एम. से 24 बैलटिंग इकाअयों को जोड़कर नोटा सहित अधिकतम 384 अभ्यार्थियों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है।

प्रश्न 6– यदि किसी मतदान केंद्र विशेष की ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) खराब हो जाती है तो क्या होगा?

उत्तर – यदि किसी मतदान केंद्र विशेष की ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) खराब हो जाती है, तो उसे नई ई.वी.एम. के साथ बदल दिया जाता है। जब ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) खराब हुई हो तो उस समय (चरण) तक दर्ज किए गए मत कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में सुरक्षित पड़े रहते हैं। और खराब ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) को नए ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से बदलने के बाद मतदान प्रक्रिया को जारी रखना पूरी तरह से उपयुक्त होता है और मतदान को शुरुआत से शुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतगणना के दिन, दोनों नियंत्र इकाइयों में दर्ज मतों को उस मतदान केंद्र का पूर्ण योग परिणाम प्राप्त करने हेतु गिना जाता है।

प्रश्न 7 – ई.वी.एम. को किसने डिजाइन किया है?

उत्तर – ई.वी.एम. को दो सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, हैदराबाद के सहयोग से निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) द्वारा तैयार और

डिजाइन किया गया है। ई.वी.एम. का विनिर्माण उपरोक्त दो उपक्रमों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 8 – वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) क्या है ?

उत्तर – वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनके इच्छा के इनुरूप पड़ा है। जब कोई मत डाला जाता है, तो अभ्यार्थी के लिए एक पारदर्शी खिड़कि के माध्यम से दिखाई देता है। उसके बाद, यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

प्रश्न 9 – क्या वीवीपीएटी (वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) बिजली से चलता है ?

उत्तर – नहीं वीवीपीएटी (वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पावर पैक बैटरी से चलता है ?

प्रश्न 10– भारत में पहली बार वीवीपीएटी उपयोग कहां किया गया था?

उत्तर – वीवीपीएटी युक्त ई.वी.एम. का पहली बार उपयोग नागालैंड के 51– नोकसेन (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन में किया गया था।

प्रश्न 11– ई.वी.एम. और वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच कौन करता है ?

उत्तर – विनिर्माताओं, नामतः भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के केवल अधिकृत इंजीनियर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में और उप जिला निर्वाचन अधिकारी की सीधी निगरानी में, ई.वी.एम. और वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) करते हैं और इसकी वीडियोग्राफी की जाती है।

प्रश्न 12– मशीनों की लागत क्या है ? क्या ई.वी.एम. को उपयोग करना बहुत महंगा नहीं है ?

उत्तर – एम2 ई.वी.एम. (2006–10 के बीच निर्मित) की लागत रु. 8670/– प्रति ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन)

(बैलटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट) थी। एम3 ई.वी.एम. की लागत अनतिम रुप से लगभग रु. 17,000/– प्रति यूनिट नियत की गई है। यद्यपि शुरुआती निवेश कुछ अधिक प्रतीत होता है, किंतु इसकी प्रत्येक निर्वाचन के लिए लाखों की संख्या में मतपत्रों के मुद्रण, उनकं परिवहन, भंडारण आदि से संबंधित बचत कहीं अधिक मात्रा में भरपाई हो जाती

प्रश्न 13– हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर हैं। क्या इससे निरक्षर मतदाताओं को समस्या नहीं होगी ?

उत्तर – ई.वी.एम. के द्वारा मतदान करना पारंपरिक प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक सरल है, जिसमें व्यक्ति को मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट मतदान चिह्न लगाना होता है, उसे पहले लंबवत रुप से और फिर क्षैतिज रुप से मोड़ना होता है और जदुपरांत उसे मत पेटी में डालना होता है। ई.वी.एम. में, मतदाता को अपनी पसंद के अभ्यर्थी और प्रतीक के सामने बैलट यूनिट पर सिर्फ नीला बटन दबाना होता है और मत दर्ज हो जाता है।

प्रश्न 14– क्या संसद और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचन कराने के लिए ई.वी.एम. का उपयोग करना संभव हैं ?

उत्तर – हां हालांकि, समकालिक निर्वाचनों के दौरान ई.वी.एम. के 2 अलग–अलग सेटों की आवश्यकता होती है, एक संसदीय निवौचन क्षेत्र के लिए और दूसरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए।

प्रश्न 15– ई.वी.एम. का उपयोग करने के क्या–क्या फायदे हैं ?

उत्तर – ई.वी.एम. का उपयोग करने के फायदे:

- यह 'अविधिमान्य मत' डाले जाने की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, जिसे कागज मतपत्र व्यवस्था के दौरान, प्रत्येक निर्वाचन के दौरान बड़ी संख्या में देखा जाता था। वास्तव में, कई मामलों में, 'अविधिमान्य मतों' की संख्या जीत के अंतर से अधिक हो जाती थी, जिसके कारण ढेरों शिकायतें और मुकदमे होते थे। इस प्रकार, ई.वी.एम. ने निर्वाचक की पसंद के अधिक प्रामाणिक और ठीक–ठीक प्रतिफल को संभव बनाया।

- ई.वी.एम. के उपयोग के साथ, प्रत्येक निर्वाचन के लिए लाखों की संख्या में मतपत्रों की छपाई से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि व्यक्तिशः प्रत्येक निर्वाचक के लिए एक मतपत्र के बजाय प्रत्येक मतदान केंद्र पर बैलेटिंग यूनिट पर चिपकाने के लिए केवल एक मत पत्र की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरुप कागज, छपाई, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत के हिसाब से भारी बचत होती है।
- मतगणना की प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र होती है और परिणात पारंपरिक मत–पत्र प्रणाली के तहत औसतन 30 से 40 घंटे की तुलना में 3 से 5 घंटे के भीतर घोषित किया जा सकता है।

प्रश्न 16– मतपेटियों के साथ मतपत्र को मिलाने के बाद मतगणना की जाती है। क्या ई.वी.एम. का इस्तेमाल होने पर इस प्रणाली को अपनाना संभव है?

उत्तर – हां, 'टोटलाइज़र' नामक एक उपकरण के उपयोग के माध्यम से, जो एक विशेष मतदान केंद्र पर इस्तमाल किए गए एकल ई.वी.एम. की अभ्यर्थीवार गिनती को प्रकट किए बिना एक बार में 14 नियंत्रण इकाईयों को समायोजित कर सकता है। हालांकि, वर्तमान में टोटलाइज़र का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसके तकनीकी पहलुओं और अन्य संबंधित मुदों की जांच चल रही है और यह एक न्यायालयीन मुकदमें का विषय भी है।

प्रश्न 17– कंट्रोल यूनिट अपनी मेमोरी में कितने समय तक रिजल्ट स्टोर करता है?

उत्तर – नियंत्रण इकाई (कंट्रोल यूनिट) अपनी मेमोरी में कितने परिणामों को तब तक स्टोर कर सकता है जब तक कि डाटा को हटा या क्लीयर न कर दिया जाए।

प्रश्न 18– जहाँ कहीं भी निर्वाचन याचिका दायर की जाती है, वहो निर्वाचन का परिणाम अन्तिम परिणाम के आधीन होता है। अदालतें उपयुक्त मामलों में, मतों का पुनर्गणना का आदेश दे सकती है। क्या ई.वी.एम. को उतने लंबे समय तक स्टोर

किया जा सकता है और क्या न्यायालयों द्‌वारा अधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति में परिणाम लिया जा सकता है ?

उत्तर – एक ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की मियाद 15 वर्ष और इससे भी अधिक होती है और कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों को उसकी मियाद के लिए तब तक स्टोर किया जा सकता है जब तक कि उसे क्लियर न कर दिया जाए। यदि अदालत पुनर्मतगणना का आदेश देती है, तो बैटरी को ठीक करके कंट्रोल यूनिट को फिर से क्रियाशील किया जा सकता है और यह इसकी मेमोरी में संग्रहित परिणाम प्रदर्शित करेगा।

प्रश्न 19– क्या बार–बार बटन दबाने से एक से अधिक बार मतदान संभव है?

उत्तर – नहीं। जैसे ही बैलेटिंग यूनिट पर एक विशेष बटन दबाया जाता है, उस विशेष अभ्यर्थी के लिए मत दर्ज हो जाता है और मशीन लॉक हो जाती है। यहां तक कि अगर कोई उस बटन को दोबारा या किसी अन्य बटन को दबाता है, तो भी आगे कोई मत दर्ज नहीं किया जाएगा। इस तरह, ईवीएम ''एक व्य क्ति, एक मत'' के सिद्धांत को सुनिश्चित करती है। अगला मत केवल तभी संभव हो पाता है जब कंट्रोल यूनिट के पीठासीन अधिकारीध्प्रभारी मतदान अधिकारी मतपत्र बटन को दबाकर मतपत्र जारी करते हैं। यह मतपत्र प्रणाली की तुलना में एक विशिष्ट लाभ है।

प्रश्न 20– एक मतदाता यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि ईवीएम (इलेक्ट्रॉ निक वोटिग मशीन) काम कर रही है और उसका मत अभिलिखित किया गया है?

उत्तर – जैसे ही मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी और प्रतीक के सामने 'नीला बटन' दबाता है, उस अभ्यर्थी विशेष के प्रतीक के सामने की बत्ती लाल रंग में चमक उठती है और एक लंबी बीप ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार, मतदाता को यह आश्वस्तह करने के लिए श्रव्य और दृश्य दोनों संकेत मिलते हैं कि उसका मत सही तरह से दर्ज हो गया है। इसके अलावा, वीवीपीएटी पेपर स्लिप के रूप में मतदाता को एक अतिरिक्त दृश्य। सत्यापन उपलब्ध कराता है ताकि वह इस बात के प्रति

सुनिश्चित हो सके कि उसका मत उसकी पसंद के अभ्यर्थी के लिए सही ढंग से दर्ज हो गया है।

प्रश्न 21– क्या यह सच है कि कभी–कभी शॉर्ट–सर्किट या अन्य कारण से इस बात की संभावना होती है कि 'नीले बटन' को दबाने पर मतदाता को बिजली का झटका लग जाए?

उत्तर – नहीं। ई.वी.एम. बैटरी पर काम करती है और 'नीले बटन' को दबाने या ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) को हैंडल करने के समय किसी भी मतदाता को किसी भी समय बिजली का झटका लगने की कोई संभावना नहीं है।

प्रश्न 22– क्या ई.वी.एम. को इस तरह से क्रमादेशित करना संभव है कि शुरू में, मानिए कि 100 मत तक, मत उसी तरह से दर्ज हों जैसे कि 'नीले बटन' दबाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद, मत केवल एक अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में दर्ज होंगे चाहे उस अभ्यर्थी या किसी अन्य अभ्यर्थी के सामने 'नीला बटन' दबाया गया हो या नहीं ?

उत्तर – ई.वी.एम. में इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रोचिप एक बार का क्रमादेशन–योग्य/मास्क्ड चिप होता है, जिसे न तो पढ़ा जा सकता है और न ही ओवरराइट किया जा सकता है। इसलिए, ई.वी.एम. में उपयोग किए जाने वाले क्रमादेशन को एक विशेष तरीके से पुनः क्रमादेशित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ई.वी.एम. पूर्णतया पृथक मशीनें होती हैं जिस तक न तो किसी भी नेटवर्क से दूरचालित रूप में पहुंचा जा सकता है और न ही किसी बाहरी उपकरण से जोड़ा जा सकता है और इन मशीनों में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए, किसी भी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का चयन करने के लिए ई.वी.एम. को एक विशेष तरीके से क्रमादेशित करने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है।

प्रश्न 23– क्या ई.वी.एम. को मतदान केंद्रों तक ढोकर ले जाना मुश्किल नहीं होगा?

उत्तर – नहीं। इसके उलट, मतपेटियों की तुलना में ई.वी.एम. को ढोकर ले जाना आसान है, क्योंकि ई.वी.एम. अधिक हल्के,

वहनीय होते हैं और ढुलाइ/परिवहन की सहूलियत के लिए ग्राहकोनुकूलित पॉलीप्रोपीलिन केरिंईग केस के साथ आते हैं।

प्रश्न 24– देश के कई क्षेत्रों में, बिजली कनेक्शन नहीं है और यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां बिजली कनेक्शन है, बिजली की आपूर्ति अनियमित है। इस परिदृश्य में क्या इससे बिना एयर कंडीशनिंग के मशीनों को स्टोर करने में समस्या उत्पपन्न नहीं होगी?

उत्तर – उस कमरे/हॉल को वातानुकूलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां ई.वी.एम. रखे जाते हैं। जरूरी केवल इतना है कि कमरे/हॉल को धूल, नमी और कृन्तकों से मुक्त रखा जाए जैसा कि मतपेटियों के मामले में किया जाता है।

प्रश्न 25– परंपरागत प्रणाली में, किसी भी विशेष समय–बिंदु में पड़े मतों की कुल संख्या को जानना संभव होगा। ई.वी.एम. में 'परिणाम' भाग को सील कर दिया जाता है और उसे मतगणना के समय ही खोला जाएगा। मतदान की तारीख को कुल कितने वोट मिले, इसे कैसे जाना जा सकता है?

उत्तर – 'परिणाम' बटन के अलावा, ई.वी.एम. के कंट्रोल यूनिट पर एक 'टोटल' बटन होता है। इस बटन को दबाने से अभ्यर्थीवार परिणाम सूचित किए बिना बटन दबाने के समय तक पड़े मतों की कुल संख्या प्रदर्शित हो जाएगी।

प्रश्न 26– बैलेटिंग यूनिट में 16 अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में, केवल 10 अभ्यर्थी हैं। मतदाता 11 से 16 तक के किसी भी बटन को दबा सकता है। क्या ये मत निष्फल नहीं होंगे?

उत्तर – नहीं। यदि एक निर्वाचन–क्षेत्र में नोटा सहित केवल 10 अभ्यर्थी हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉ निक वोटिंग मशीन) तैयार करने के समय क्रम. सं. 11 से 16 पर दिए गए 'कैंडिडेट' बटन को छिपा दिया जाएगा। इसलिए, किसी भी मतदाता द्वारा 11 से 16 के अभ्यर्थियों के लिए कोई अन्यर बटन को दबाने का सवाल ही नहीं है।

प्रश्न 27– मतपेटियों को उत्कीर्ण किया जाता है ताकि इन बॉक्सों को बदले जाने की शिकायत के किसी भी संभावना से बचा जा

सके। क्या ई.वी.एम. के संख्यांकन की कोई व्यवस्था है?

उत्तर – हाँ। प्रत्येक बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट में एक विशिष्टज आईडी संख्यास होती है, जिसे प्रत्येक यूनिट पर उकेरा जाता है। किसी विशेष मतदान केंद्र में प्रयुक्त की जाने वाली ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉ निक वोटिंग मशीन) की आईडी संख्या वाली सूची तैयार की जाती है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके एजेन्टों को उपलब्ध कराई जाती है।

प्रश्न 28– पारंपरिक प्रणाली में, मतदान शुरू होने से पहले, पीठासीन अधिकारी उपस्थित मतदान एजेंटों को दिखाता है कि मतदान केंद्र में इस्तेमाल की जाने वाली मतपेटी खाली है। क्या मतदान एजेंटों को आश्वस्तम करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान है कि ई.वी.एम. में पहले से दर्ज मत अव्यक्त रूप में नहीं हैं?

उत्तर – हाँ। मतदान शुरू होने से पहले, पीठासीन अधिकारी परिणाम बटन दबाकर उपस्थित मतदान एजेंटों को प्रदर्शित करता है कि मशीन में पहले से छिपे हुए मत नहीं हैं। इसके बाद, वह मतदान एजेंटों की उपस्थिति में कम से कम 50 मतों के साथ मतदान एजेंटों को इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए मॉक पोल का संचालन करता है और सीयू में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणाम से मिलान करता है कि दर्शित परिणाम पूरी तरह उनके द्वारा दर्ज किए मतों के अनुसार है। तदुपरांत पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल के परिणाम को हटाने के लिए क्लियर बटन दबाएगा। वह 'टोटल' बटन दबाकर फिर मतदान एजेंटों को दिखाता है कि वह 'शून्य' दर्शित कर रहा है। फिर वह मतदान एजेंटों की उपस्थिति में वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले कंट्रोल यूनिट को सीलबंद करता है। अब, हरेक पोलिंग बूथ पर 100% वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के उपयोग के साथ, मॉक पोल के बाद, वीवीपीएटी पेपर स्लिप भी गिने जाते हैं।

प्रश्न 29– मतदान समाप्त होने के बाद और मतगणना शुरू होने से पहले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी भी समय और अधिक

मतों को दर्ज करने की संभावना को कैसे खारिज किया जा सकता है?

उत्तर – मतदान पूरा होने के बाद अर्थात जब आखिरी मतदाता मतदान कर ले, कंट्रोल यूनिट का प्रभारी अधिकारी/पीठासीन अधिकारी 'क्लोज' बटन दबाता है। तदुपरांत, ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉ निक वोटिंग मशीन) कोई भी वोट को स्वीकार नहीं करती है। मतदान समाप्त होने के बाद, कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद बैलेटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर दिया जाता है और संबंधित कैरिईंग केस में अलग से रखा जाता है और सीलबंद कर दिया जाता है। इसके अलावा, पीठासीन अधिकारी को प्रत्येक मतदान एजेंट को दर्ज किए गए मतों के लेखे की एक प्रति सौंपनी होती है। मतगणना के समय, एक विशेष कंट्रोल यूनिट में दर्ज कुल मतों का इस लेखे से मिलान किया जाता है और यदि कोई असंगति है, तो काउंटिंग एजेंटों द्वारा उसे इंगित किया जा सकता है।

प्रश्न 30– यदि प्रिंटर द्वारा उत्पटन्नद पेपर पर्ची उस अभ्यर्थी से इतर अभ्यीर्थी के नाम या प्रतीक को दर्शाती है जिसके लिए उसने मतदान किया है तो क्या उसके लिए शिकायत करने का कोई प्रावधान है?

उत्तर – हां, अगर कोई निर्वाचक अपना मत दर्ज करने के बाद यह आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा मुद्रित पेपर पर्ची में उस अभ्यिर्थी से इतर अभ्यकर्थी का नाम या प्रतीक दर्शाया गया है जिसके लिए उसने मतदान किया है तो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 डक के प्रावधानों के अनुसार पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को झूठी घोषणा करने के परिणाम के बारे में चेतावनी देने के पश्चात आरोप के बारे में उनसे लिखित घोषणा प्राप्त करेगा।

यदि निर्वाचक नियम 49 डक के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट लिखित घोषणा देता है, तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को अपनी उपस्थिति में और अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं, जो मतदान केंद्र में उपस्थित हो सकते हैं, की उपस्थिति में वोटिंग मशीन में एक परीक्षण मत रिकॉर्ड करने और प्रिंटर द्वारा

उत्पन्न पेपर स्लिप का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

यदि आरोप सत्य पाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को तथ्यों की तुरंत रिपोर्टिंग करेगा, उस वोटिंग मशीन में वोटों की आगे रिकॉर्डिंग रोक देगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।

हालांकि, यदि आरोप गलत पाया गया है और उप–नियम (1) के तहत इस तरह उत्पन्न पेपर स्लिप का मिलान उप–नियम (2) के तहत निर्वाचक द्वारा दर्ज किए गए परीक्षण मत से हो जाता है, तो, पीठासीन अधिकारी –

उस निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के प्रति प्ररूप 17क में उस अभ्यिर्थी की क्रम संख्या और नाम का उल्लेख करते हुए एक टिप्पणी करेगा, जिसके लिए इस तरह का परीक्षण मत दर्ज किया गया है;

ऐसी टिप्पणियों के सामने उस निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगाय तथा प्ररूप 17ग के भाग I में मद 5 में इस तरह के परीक्षण मत के बारे में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा। ''

प्रश्न 31– निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित क्रम संख्याएं, अभ्यर्थियों के नाम और प्रतीकों को वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) इकाई में कौन लोड करता है?

उत्तर – उन्हें आवंटित क्रम संख्याएं अभ्यर्थियों के नाम, और प्रतीक विनिर्माता अर्थात ईसीआईएल/बीईएल के इंजीनियरों की मदद से वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) यूनिट में लोड किए जाते हैं।

प्रश्न 32– क्या क्रम संख्याओं, वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) में लोड किए गए अभ्यर्थियों के नामों और प्रतीकों के परीक्षण प्रिंटआउट आवश्यक हैं?

उत्तर – हाँ। वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) में लोड की क्रम संख्याथएं अभ्यर्थियों के नामों और प्रतीकों के परीक्षण प्रिंटआउट की जांच बैलट यूनिट पर रखे गए बैलेट पेपर के

साथ की जानी अपेक्षित होती है। उसके बाद, प्रत्येक अभ्यर्थी को एक मत यह जांचने के लिए दिया जाएगा कि वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) सभी अभ्यर्थियों के संबंध में पेपर पर्चियों का सही ढंग से मुद्रण कर रहा है।

प्रश्न 33– क्या वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) इकाई को हैंडल करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में अतिरिक्त मतदान कार्मिक की आवश्यकता होती है?

उत्तर – हाँ। प्रत्येक ऐसे मतदान केंद्र पर अतिरिक्त मतदान कार्मिक की आवश्यकता होती है, जहां ईवीएम के साथ एम2 वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) लगाए जाते हैं। इस मतदान कार्मिक का कर्तव्य पूरे मतदान प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी की मेज पर रखी हुई वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) पर नजर रखना होगा।

हालांकि, एम3 वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के मामले में वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) को हैंडल करने के लिए किसी अतिरिक्त मतदान कार्मिक की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 34– मतदान केंद्रों पर पेपर रोल बदलने की अनुमति है या नहीं?

उत्तर – मतदान केंद्रों पर पेपर रोल को बदलने की सख्त मनाही है।

प्रश्न 35– क्या मतगणना के दिन वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की मुद्रित पेपर पर्चियों की गिनती की जानी अनिवार्य है ?

उत्तर – वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की मुद्रित पेपर पर्चियों की गिनती केवल निम्नलिखित मामलों में की जाती है:

(क) राज्य विधान सभा के निर्वाचन के मामले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और (ख) लोक सभा के निर्वाचन के मामले में प्रत्येक विधानसभा खंड के यादृच्छिक रूप से चयनित 01 मतदान केंद्र की मुद्रित वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पेपर पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन

कंट्रोल यूनिट से परिणाम का कोई प्रदर्शन न होने की स्थिति में, संबंधित वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना की जाती है।

यदि कोई भी अभ्यहर्थी या उसकी अनुपस्थिति में, उसका निर्वाचन एजेंट या उसका कोई भी मतगणना एजेंट निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56घ के तहत किसी भी मतदान केंद्र या मतदान केंद्रों के संबंध में वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की मुद्रित पेपर पर्चियों की गिनती करने के लिए लिखित अनुरोध करता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है और लिखित आदेश जारी करता है, कि उस विशेष मतदान केंद्र (केन्द्रों) की वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के मुद्रित पेपर पर्चियों की गिनती की जानी है या नहीं।

प्रश्न 36– परिणाम की घोषणा के बाद, क्या वीवीपीएटी (वोटर वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की मुद्रित पेपर पर्चियों (गिनी हुई या न गिनी हुई) को वीवीपीएटी प्रिंटर इकाई के ड्रॉप बॉक्स से बाहर निकाले जाने की जरूरत होती है?

उत्तर – नहीं। वीवीपीएटी को निर्वाचन याचिका की अवधि पूरी होने तक ई.वी.एम. के साथ एक सुरक्षित स्ट्रांग रूम में संग्रहित किया जाता है।

प्रश्न 37– मैं ई.वी.एम. और वीवीपीएटी के बारे में और अधिक जानकारी कहां से प्राप्तव कर/पढ़ सकता हूं?

उत्तर – और अधिक पढ़ने–जानने के लिए आप निम्नलिखित का संदर्भ ले सकते हैं:

ई.वी.एम. मैनुअल https://eci.gov.in/files/file/9230-manual-on-electronic-voting-machine-and-vvpat/ पर उपलब्ध है।

ई.वी.एम. पर स्टेटस पेपर https://eci-gov.in/files/file/8756-status-paper-on-evm-edition-3/ पर उपलब्ध है।

प्रश्न 38– क्या किसी विशेष मतदान केंद्र में ईवीएम की तैनाती के बारे में पहले से जानना संभव है?

उत्तर – नहीं, यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मतपत्र में, और इसलिए बैलट यूनिट में अभ्यर्थियों के नामों की व्यवस्था वर्णमाला के क्रम में, पहले राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए, उसके बाद अन्य राज्य पंजीकृत दलों के लिए और फिर निर्दलीयों के लिए होती है। इस प्रकार, अभ्यर्थी जिस क्रम में बैलेट यूनिट पर दिखाई देते हैं, वह अभ्यर्थियों के नामों और उनकी दलीय संबद्धता पर निर्भर होती है और उसका पहले से पता नहीं लगाया जा सकता है।

ई.वी.एम. को आयोग द्वारा विकसित ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉ निक वोटिंग मशीन) ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया के दो चरणों के द्वारा मतदान केंद्र के लिए आवंटित किया जाता है। ई.वी.एम. की प्रथम स्तरीय जाँच के बाद उन्हें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर ईवीएम का पहला यादृच्छिकीकरण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाता है। उसके बाद, ई.वी.एम. की कमीशनिंग से पहले, रिटर्निंग ऑफिसर स्तर अभ्यर्थियों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में ई.वी.एम. का दूसरा यादृच्छिकीकरण किया जाता है ताकि उन्हें मतदान केंद्रवार आवंटित किया जा सके।

प्रश्न 39– क्या यह सत्य है कि न्यायालयों में ई.वी.एम. के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं ? इसका परिणाम क्या है ?

उत्तर – हाँ। 2001 के बाद से, विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष ईवीएम (इलेक्ट्रॉ निक वोटिंग मशीन) के साथ संभव रूप से गड़बड़ करने का मुद्दा उठाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

– मद्रास उच्च न्यायालय –2001
– केरल उच्च न्यायालय –2002
– दिल्ली उच्च न्यायालय –2004
– कर्नाटक उच्च न्यायालय –2004
– बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर बेंच) –2004

– उत्तराखंड उच्च न्यायालय –2017

– भारत का सर्वोच्च न्यायालय –2017

ई.वी.एम. के इस्तेमाल से जुड़ी प्रौद्योगिकीय सुरक्षा और प्रशासनिक रक्षोपायों के विभिन्न पहलुओं के विस्तृत विश्लेषण के बाद, विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा ई.वी.एम. की साख, विश्वसनीयता और त्रुटिमुक्ता को सभी मामलों में विधिमान्य् ठहराया गया है। इनमें से कुछ मामलों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेशों जो ई.वी.एम. के पक्ष में थे के खिलाफ कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है,। विवरण के लिए, ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर स्टेटस पेपर जो https://eci-gov-in/files/file/8756-status-paper-on-evm-edition-3/ पर उपलब्ध है, देखें।

बेहतर ई.वी.एम.

प्रश्न 1– ई.वी.एम. से छेड़छाड़ का क्या मतलब है ?

उत्तर – छेड़छाड़ का मतलब है– नियंत्रण इकाई में लगी माइक्रोचिप्स में दर्ज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में बदलाव करना, या नियंत्रण इकाई में नई माइक्रोचिप्स डालकर उनमें गड़बड़ी वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाल देना, और ऐसा इन्तजाम भी कर देना कि मतपत्र इकाई में बटन किसी और उम्मीदवार के लिए दबाया जाए, पर नियंत्रण इकाई में वोट किसी दूसरे को पड़ जाए।

प्रश्न 2– क्या ई.सी.आई.– ई.वी.एम. को हैक किया जा सकता है ?

उत्तर – नहीं। ई.वी.एम. के मॉडल 1 का निर्माण सन् 2006 तक किया गया। इसमें वे सभी आवश्यक तकनीकें थी, जो मॉडल 1 (एम 1) को ऐसा बनाती हैं कि उसे हैक नहीं किया जा सकता। यह अलग बात है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यह दावा करते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। तकनीकी मूल्यांकन

समिति की 2006 की संस्तुतियों के आधार पर 2006 के बाद से 2012 तक ई.वी.एम. का एम 2 मॉडल बनाया गया, जिसमें बटनों के कोड की डायनमिक कोडिंग को शामिल किया गया। इससे, जब मतपत्र इकाई पर कोई बटन दबाया जाता है तो वहाँ से वह संदेश एक गुप्त कोड के रूप में नियंत्रण इकाई तक पहुँचता है। यह सुरक्षा का एक अतिरिक्त साधन है। इसमें हर एक बटन की डाटा प्रोसेसिंग भी शामिल है, ताकि बटन दबाने की क्रमबद्धता की (जिसमें तथाकथित गड़बड़ी वाला बटन भी शामिल है) पहचान हो सके और गड़बड़ी को पकड़ा जा सके। इसके अलावा ई.सी.आई.– ई.वी.एम. को कम्प्यूटर से नियंत्रित नहीं किया जाता, ये अलग मशीन के रूप में काम करती हैं और किसी भी समय इण्टरनेट से और/या किसी अन्य नेटवर्क से नहीं जुड़ी होतीं। इसलिए रिमोट से इन्हें हैक नहीं किया जा सकता। ई.सी.आई. – ई.वी.एम. में कोई फ्रीक्वेंन्सी रिसीवर या वायरलेस के डाटा का डीकोडर नहीं है, न ही इसमें कोई ऐसे बाहरी हार्डवेयर लगाए गए हैं, जो किसी अन्य ऐसे उपकरण से जुड़े हों, जो ई.वी.एम. का हिस्सा नहीं है। इसलिए किसी हार्डवेयर को डालकर या वायरलेस से या वाई.फाई से या ब्लूटूथ उपकरण से इसमें छेड़छाड़ सम्भव नहीं है, क्योंकि नियंत्रण इकाई मतपत्र इकाई से केवल इन्क्रिप्टेड और डायनामिकली कोड किए हुए डाटा ही स्वीकार करती है। नियंत्रण इकाई द्वारा अन्य किसी भी तरह का डाटा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 3– क्या निर्माताओं द्वारा ई.सी.आई.– ई.वी.एम. में हेराफेरी की जा सकती है ?

उत्तर – यह सम्भव नहीं है। निर्माता के स्तर पर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए बहुत कठोर सुरक्षा.उपाय अपनाए जाते हैं। मशीनें 2006 से शुरू करके विभिन्न वर्षों में बनाई गई हैं। बनाने के बाद ई.वी. एम. राज्य में, और राज्य के अन्तर्गत अलग–अलग जिलों में भेजी जाती हैं। इस तरह, कई वर्ष पहले निर्माता यह नहीं जान सकता कि किसी निर्वाचन–क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और मतपत्र इकाई में उसका क्रमांक क्या होगा। इसके अलावा, हर एक ई.सी.आई.– ई.वी.एम. में एक क्रमांक होता है, और निर्वाचन आयोग ई.वी.एम. का पता लगाने वाले

सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इसके डाटाबेस से यह जान सकता है कि कौन सी मशीन कहाँ पर है। अतः निर्माण के दौरान हेराफेरी की कोई सम्भावना नहीं है।

प्रश्न 4— क्या नियंत्रण इकाई की चिप में गुप्त रूप से कुछ डाला जा सकता है ?

उत्तर — ई.वी.एम. में मतदान का क्रम उसमें गुप्त रूप से कुछ डालने की सारी सम्भावनाओं को समाप्त कर देता है, जैसा नीचे बताया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के सुरक्षा के कड़े उपायों के कारण गुप्त रूप से कुछ डालना असम्भव हो जाता है। जब नियंत्रण इकाई में मतदान बटन दबाया जाता है तो नियंत्रण इकाई मतपत्र इकाई को वोट डालने के लिए तैयार करती है। इस दौरान नियंत्रण इकाई के सारे बटन निष्क्रिय हो जाते हैं। ये तब तक निश्क्रिय रहते हैं, जब तक उस वोट को डालने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। जब कोई मतदाता मतपत्र इकाई में वोट डालने वाला बटन दबाता है तो मतपत्र इकाई नियंत्रण इकाई को सूचना भेजती है। नियंत्रण इकाई मतपत्र इकाई द्वारा भेजे गए डाटा को प्राप्त करती है और इसकी प्राप्ति की सूचना देती है। यह सूचना मतपत्र इकाई में लगे एल.ई.डी. बल्ब को जलाकर दी जाती है। जब नियंत्रण इकाई वोट डालने के लिए सक्षम होती है तो केवल पहली बार दबाया हुआ बटन ही नियंत्रण इकाई द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसके बाद यदि कोई मतदाता किसी दूसरे बटन को दबाता भी है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि बाद में बटन दबाने पर नियंत्रण इकाई व मतदान इकाई के बीच किसी सूचना का आदान—प्रदान नहीं होगा, और न ही उस बटन के दबने से मतपत्र इकाई में कोई वोट पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, केवल एक बार दबाया हुआ (पहली बार) बटन ही एक वोट के लिए वैध होगा। जैसे ही वैध रूप से बटन दबाने की प्रक्रिया पूरी होगी (मतदान प्रकिया), उसके बाद तब तक नियंत्रण इकाई और मतपत्र इकाई के बीच कोई क्रिया नहीं होगी, जब तक दूसरा वोट डालने के लिए बटन नहीं दबाया जाता। इसलिए देश में प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में तथाकथित बार—बार बटन दबाकर गलत वोट डालना असम्भव है।

प्रश्न 5– क्या ई.सी.आई.– ई.वी.एम. के पुराने मॉडल का अब भी प्रयोग किया जा रहा है ?

उत्तर – ई.वी.एम. के एम 1 मॉडल 2006 तक बनाए गए और आखिरी बार इनका प्रयोग 2014 के आम चुनावों में किया गया। 2014 में जिन ई.वी.एम. ने आर्थिक जीवन के 15 वर्ष पूरे कर लिए थे और चूँकि एम 1 मॉडल वी.वी.पी.ए.टी. (वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के अनुकूल नहीं था, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया कि अब एम 1 ई.वी.एम. का, जिनका निर्माण 2006 तक किया गया था, प्रयोग बन्द कर दिया जाए। ई.सी.आई. ने ई.वी.एम. काप्रयोग बन्द करने के लिए एक आदर्श संचालन प्रक्रिया बनाई है। ई.वी.एम. और उसकी चिप को नष्ट करने की प्रक्रिया राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्माण करने वाले कारखाने के अन्दर की जाती है।

प्रश्न 6 – क्या किसी की जानकारी में आए बिना कोई ई.सी.आई.– ई.वी.एम. में भौतिक रूप से गड़बड़ी कर सकता है ?

उत्तर – ई.सी.आई.– ई.वी.एम. के मॉडल 1 और 2 में जो सुरक्षा के उपाय अपनाए गए हैं, उनके अलावा, 2013 के बाद बनी एम 3 ई.वी.एम. में गड़बड़ी की पहचान करने और स्वयं पहचान करने (सेल्फ डायगनोस्टिक्स) के अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं। जैसे ही कोई मशीन को खोलने की कोशिश करता है, गड़बड़ी की पहचान करने वाला फीचर मशीन को निष्क्रिय कर देता है। जब ई.वी.एम. का स्विच ऑन रहता है तो स्वयं पहचान करने वाला फीचर हर समय इसकी पूरी जाँच करता रहता है। इससे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में किया गया कोई भी बदलाव तुरन्त पकड़ में आ जाएगा। इन सभी सुरक्षा.उपायों के साथ एम 3 के नए मॉडल का नमूना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सरकार ने उपर्युक्त अतिरिक्त फीचरों और नई तकनीकी विशेषताओं के साथ एम 3 ई.वी.एम. का उत्पादन करने के लिए 2000 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए हैं।

प्रश्न 7 – ऐसे कौन से नवीनतम तकनीकी फीचर हैं, जो ई.सी.आई. – ई.वी.एम. को ऐसा बनाते हैं कि उसमें गड़बड़ी न की जा सके ?

उत्तर – ई.सी.आई. – ई.वी.एम. में कुछ अति परिष्कृत फीचर प्रयोग किए गए हैं, जैसे – एक बार प्रोग्राम करने योग्य माइक्रोकण्ट्रोलर, बटनों की डायनामिक कोडिंग और हर एक बटन के दबने की तिथि व समय का नोट होना, विकसित इन्क्रिप्शन तकनीक और ई.वी.एम. का पता लगाने वाला (ट्रैकिंग) सॉफ्टवेयर, ताकि ई.वी.एम. किस समय कहाँ पर है, यह पता चल सके। ये तथा अन्य फीचर मशीन को 100: गड़बड़ी रहित बनाते हैं। इनके अलावा, नए एम 3 मॉडल ई.वी.एम. में भी गड़बड़ी की पहचान करने वाले और स्वयं जाँच करने वाले फीचर जोड़े गए हैं। चूँकि सॉफ्टवेयर ओ.टी.पी. पर आधारित हैं, इसलिए प्रोग्राम को न तो बदला जा सकता है, न पुनर्लिखित (री–राइट) किया जा सकता है, और न यह पुनर्पठित (री–रेड) हो सकता है। इस तरह ई.वी.एम. गड़बड़ी रहित बनती है। कोई ई.वी.एम. में गड़बड़ी करने की कोशिश करता/करती है तो मशीन निश्क्रिय हो जाएगी।

प्रश्न 8 – क्या ई.सी.आई.– ई.वी.एम. में विदेशी तकनीक का प्रयोग किया गया है ?

उत्तर – कुछ लोग इस तरह की गलत सूचनाएँ देते हैं। पर भारत में ऐसी कोई भी ई.वी.एम. प्रयोग नहीं की जाती, जो विदेशों में बनी हो। ई.वी.एम. का उत्पादन देश में ही होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम – भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोड भी इन दो कम्पनियों द्वारा देश में ही बनाया जाता है। इसे बाहर से नहीं लिया जाता। इन्हें बनाने के लिए फैक्टरी के स्तर पर उच्च स्तर की विश्वस्तरीय सुरक्षा–प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलकर तब उसे विदेशों में चिप बनाने वाले को दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास देश में सेमी कण्डक्टर माइक्रोचिप बनाने की क्षमता नहीं है। हर एक

माइक्रोचिप का एक पहचान क्रमांक होता है, जो इसकी मेमोरी में रखा जाता है, और उस पर उत्पादक के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए इसके बदले जाने को कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि माइक्रोचिप्स का सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कार्यात्मक परीक्षण किया जाता है। माइक्रोचिप बदलने की किसी भी कोशिश का पता लगाया जा सकता है और ई.वी.एम. निष्क्रिय हो सकती है। इस तरह, वर्तमान प्रोग्राम को बदलने या नया प्रोग्राम डालने का पता लगाया जा सकता है और इससे ई.वी.एम. निष्क्रिय हो जाती है।

प्रश्न 9 — भण्डारण के स्थान पर गड़बड़ी किए जाने की कितनी सम्भावनाएँ हैं ?

उत्तर — जिला मुख्यालय पर ई.वी.एम. दोहरे ताले में रखी जाती है और इसकी सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम रहते हैं। समय—समय पर उनकी सुरक्षा की जाँच भी की जाती है। अधिकारी स्ट्राँग रूम को खोलते नहीं है, पर वे यह जाँचते हैं कि क्या ये पूरी तरह सुरक्षित हैं और क्या ताला ठीक.ठीक स्थिति में है। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति किसी भी समय ई.वी.एम. के पास नहीं जा सकता। जब चुनाव न हो रहे हों, उस अवधि मे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी ई.वी.एम. का वार्षिक व्यक्तिगत भौतिक सत्यापन किया जाता है, और आख्या भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाती है। निरीक्षण और जाँच हाल ही में पूरी हुई है।

प्रश्न 10— स्थानीय निकायों में ई.वी.एम. में गड़बड़ी होने के आरोप किस सीमा तक सही हैं ?

उत्तर — अधिकार—क्षेत्र के बारे में जानकारी की कमी के कारण इस मामले में गलतफहमी हो जाती है। नगर निकायों या ग्रामीण निकायों, जैसे— पंचायत चुनावों में जो ई.वी.एम. प्रयोग की जाती हैं, वे भारत निर्वाचन आयोग की नहीं होतीं। इसके अलावा, स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार—क्षेत्र में आते हैं। वे अपनी मशीनें खुद रखते हैं और खुद ही उनकी देखरेख करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा उपर्युक्त चुनावों में जो ई.वी.एम. प्रयोग की जाती हैं, उनके लिए भारत चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रश्न 11— ई.सी.आई.—ई.वी.एम. में छेड़छाड नहीं हो सकती है, यह

सुनिश्चित करने के लिए कौन से विभिन्न उपाय किए जाते हैं ?

उत्तर – पहले स्तर की जाँच – बी. ई. एल. / ई. सी. आई. एल. के इंजीनियर प्रत्येक ई.वी.एम. के तकनीकी और भौतिक परीक्षण द्वारा उनके सभी घटकों की मौलिकता को प्रमाणित करते हैं। यह काम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने किया जाता है। दोषयुक्त ई.वी.एम. वापस फैक्टरी में भेज दी जाती हैं। पहले स्तर की जाँच जिस हॉल में की जाती है, उसे स्वच्छ बनाया जाता है। वहाँ प्रवेश निषेध होता है, कैमरा, मोबाइल फोन या स्पाई पेन भी नहीं ले जाया जा सकता। बिना क्रम के चुनी हुई 5 : ई.वी.एम. पर कृत्रिम मतदान किए जाता है। ये मशीनें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाती हैं। कृत्रिम मतदान में कम से कम 1000 वोट डाले जाते हैं। इन वोटों का परिणाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है।

क्रमविहीन करना (रैण्डमाइजेशन)– ई.वी.एम. को दो बार क्रमविहीन किया जाता है– एक तो तब, जब वे विधानसभा के लिए आवंटित की जाती हैं, और उसके बाद मतदान केन्द्र पर। इससे यह आशंका खत्म हो जाती है कि आवंटन किसी निश्चित तरीके से किया जाता है। मतदान के बाद ई.वी.एम. को सील कर दिया जाता है और मतदान एजेण्ट उस सील पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। मशीनों को ले जाते समय मतदान एजेण्ट भी स्ट्राँग रूम तक जा सकते हैं।

स्ट्राँग रूम– उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि स्ट्राँग रूम पर अपनी सील भी लगा सकते हैं, जहाँ मतदान के बाद मतदान की हुई ई.वी.एम. रखी हों। वे स्ट्राँग रूम के सामने अपना डेरा भी डाल सकते हैं। इन स्ट्राँग रूम की हर क्षण पहरेदारी की जाती है। यह पहरेदारी कई स्तरों की होती है।

मतगणना केन्द्र– मतदान की हुई ई.वी.एम. मतगणना केन्द्र पर लाई जाती हैं, और वहाँ मतगणना के पहले सील और नियंत्रण इकाई की विशिष्ट आई.डी. उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को दिखाई जाती है।

प्रश्न 12– क्या किसी ऐसी ई.सी.आई.– ई.वी.एम. को, जिसमें हेराफेरी की गई हो, बिना किसी की जानकारी में आए, फिर से मतदान प्रक्रिया में लगाया जा सकता है ?

उत्तर – इसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऊपर बताए गए जिन उपायों से भारत निर्वाचन आयोग ई.वी.एम. को ऐसा बनाता है कि उनमें कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती, वे पूरी तरह निरापद हैं, न ही दोशयुक्त मशीनों को किसी भी समय मतदान–प्रक्रिया में लगाया जा सकता है, क्योंकि जो गैर ई.सी.आई.– ई.वी. एम. होगी, ऊपर दी गई प्रक्रिया से और नियंत्रण इकाई व मतदान इकाई के मेल न खाने से उसकी पहचान हो जाएगी। विभिन्न स्तरों पर कड़ी जाँच–परख के कारण न तो ई.सी.आई. –ई.वी.एम., भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था से बाहर जा सकती है, न कोई बाहरी मशीन (जो ई.सी.आई.–ई.वी.एम. न हो) इस व्यवस्था में शामिल हो सकती है।

प्रश्न 13– अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के विकसित देशों ने ई. वी.एम. को नहीं अपनाया और कुछ देशों ने इस छोड़ दिया। क्यों ?

उत्तर – पहले कुछ देशों ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान का प्रयोग किया था। उनके देशों में जो समस्याएँ आईं, वे यह थीं कि वे कम्प्यूटर से नियंत्रित होने वाली मशीनें थीं व नेटवर्क से जुड़ी होती थीं। इस कारण, उनको हैक किया जा सकता था। इसलिए वे मशीनें अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाईं। इसके अलावा उनके यहाँ विद्यमान कानूनों में इनकी सुरक्षा, संख्या और बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा–उपाय नहीं थे। कुछ देशों में न्यायालयों ने केवल इन्हीं कानूनी आधारों पर ई.वी.एम. का प्रयोग रोक दिया। भारतीय ई.वी.एम. अपने आप में पूर्ण हैं, जबकि अमेरिका, नीदरलैण्ड, आयरलैण्ड और जर्मनी की मशीनें सीधे रिकॉर्ड करने वाली मशीनें थीं। भारत ने पेपर ऑडिट ट्रेल शुरू किया, भले ही आंशिक रूप से। औरों के पास ऑडिट ट्रेल नहीं था। ऊपर के सभी देशों में मतदान के समय स्रोत का कोड बन्द हो जाता था। भारत की ई.वी.एम. में ओ.टी.पी. का प्रावधान है। ई. सी.आई.– ई.वी.एम. अपने आप में परिपूर्ण उपकरण है, जो किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ा होता, इस कारण, यह किसी के लिए भी सम्भव नहीं है कि भारत में लगभग 14 लाख मशीनों में

व्यक्तिगत रूप से छेड़छाड़ कर सके। भारत में चुनावों से जुड़े पुराने अनुभवों (चुनावी हिन्सा व अन्य कदाचार, जैसे– मतदान के समय बेईमानी, मतदान केन्द्र पर कब्जा करना आदि) को देखते हुए भारत के लिए ई.वी.एम. बहुत उपयुक्त है। यह उल्लेखनीय है कि जर्मनी, आयरलैण्ड, नीदरलैण्ड आदि देशों के उलट भारत के कानून और भारत निर्वाचन आयोग के नियम ऐसे हैं, जो ई.वी.एम. को पर्याप्त सुरक्षा देते हैं और उनका बचाव करते हैं। इसके अलावा भारतीय ई.वी.एम. सुरक्षा के तकनीकी फीचरों के मामले में बहुत बेहतर हैं। भारतीय ई.वी.एम. इसलिए भी औरों से लिए भिन्न है कि इसमें चरणबद्ध तरीके से वी.वी.पी.ए.टी. का प्रयोग किया जा रहा है। इससे मतदाता के लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन जाती है। नीदरलैण्ड में मशीनों के भण्डारण, परिवहन और सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों की कमी है। नीदरलैण्ड में बनी मशीनें आयरलैण्ड और जर्मनी में भी प्रयोग की गईं। जर्मनी के एक न्यायालय ने 2005 में वोटिंग उपकरण अध्यादेश को इस आधार पर असंवैधानिक माना कि इससे चुनावों की सार्वजनिक प्रकृति और मौलिक कानून का उल्लंघन होता है। इसलिए इन देशों ने नीदरलैण्ड में बनी मशीनों का प्रयोग बन्द कर दिया। आज भी, कई देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, मतदान के लिए मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। ई.सी.आई.– ई. वी.एम. मूल रूप से उन मशीनों व प्रक्रियाओं से भिन्न हैं, जो विदेशों में अपनाई जा रही हैं। दूसरी जगह की कम्प्यूटर नियंत्रित संचालन पद्धति के आधार पर काम करने वाली मशीनों पर आधारित तुलना किया जाना ठीक नहीं होगा, और ई.सी.आई.–ई.वी.एम. की तुलना उनसे नहीं की जा सकती।

प्रश्न 14– जिन मशीनों के साथ वी.वी.पी.ए.टी. जुड़ा है, उनकी स्थिति क्या है ?

उत्तर – भारत निर्वाचन आयोग ने 255 विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्रों और 9 लोकसभा निर्वाचन–क्षेत्रों में वोटर्स वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वी.वी.पी.ए.टी.) का प्रयोग करके चुनाव सम्पन्न कराए हैं। 2017 के हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों के बाद अब वी.वी.पी.ए.टी. का प्रयोग हर चुनाव में किया जा रहा है।

राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का चुनाव

प्रश्न 1– भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है ?

उत्तर – भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक–मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व केन्द्र प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। (भारत के संविधान की घारा 54)

प्रश्न 2 – राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ?

उत्तर – राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अवधि उस दिन से शुरू होती है, जिस दिन से राष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। कार्यकाल पूरा होने पर भी राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहते हैं, जब तक उनके उत्तराधिकारी अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते। (भारत के संविधान की धारा 56)

प्रश्न 3– भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कब होता है ?

उत्तर – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 के खण्ड 4 के उपखण्ड (3) के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले 60 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग किसी भी दिन नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर देगा। निर्वाचन की प्रक्रिया का क्रम इस तरह से निश्चित किया जाएगा कि चुने जाने वाले राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाले दिन से अगले दिन कार्यभार ग्रहण कर सकें।

प्रश्न 4– भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन– प्रक्रिया का संचालन कौन करता है ?

उत्तर – भारत के संविधान के धारा 324 के अनुसार, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन–प्रक्रिया के संचालन का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास है।

प्रश्न 5– राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन का कौन सा तरीका/कौन सी पद्धति अपनाई जाती है ?

उत्तर – भारत के संविधान की धारा 55 (3) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से

एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से होगा, और यह निर्वाचन गुप्त मतदान की पद्धति से होगा।

प्रश्न 6– भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के पास कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए ?

उत्तर – धारा 58 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के पास निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए–

1. वह भारत के नागरिक हों।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों।
3. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र हों।
4. भारत सरकार या राज्य सरकार या ऐसी किसी अन्य जगह लाभ के पद पर न हों, जो ऊपर लिखी गई किसी भी सरकार के नियंत्रण में हो। यद्यपि जो उम्मीदवार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल य ा केन्द्र या किसी राज्य सरकार में मंत्री हों, वे चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं।

प्रश्न 7– उम्मीदवार को वैध रूप से नामांकित होने के लिए उपर्युक्त के अलावा और कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

उत्तर – निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र (राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 के साथ संलग्न फॉर्म 2) पर नामांकन पत्र भरना होगा, जिसमें कम से कम 50 निर्वाचकों के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर होंगे। हर दृष्टि से पूरी तरह भरे हुए नामांकन पत्र किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच, इस कार्य के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी के समक्ष या तो स्वयं प्रस्तुत करने होंगे या प्रस्तावकों अथवा समर्थकों में से कोई एक प्रस्तुत करेंगे। यहाँ 'निर्वाचकों' का अर्थ है, चुने हुए सांसद या चुने हुए विधायक, जो राष्ट्रपति–चुनाव के निर्वाचक हैं। नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन के लिए रुपये 15000/– की धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। यह राशि या तो नकद रूप में निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करनी होगी या फिर

उम्मीदवार द्वारा उनकी तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक या राजकीय कोषागार में जमा करनी होगी। यदि बैंक या कोषागार में जमानत राशि जमा की गई है तो उसकी रसीद नामांकन पत्र के साथ जमा करनी होगी। उम्मीदवार को लोकसभा निर्वाचन–क्षेत्र की उस निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि भी जमा करनी होगी, जिसमें उम्मीदवार का नाम निर्वाचक के रूप में दर्ज है। (देखें – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 का खण्ड 5 बी और 5 सी)

प्रश्न 8– राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त होते हैं ? इनकी नियुक्ति कौन करता है ?

उत्तर – चली आ रही परिपाटी के अनुसार, लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, क्रम से, निर्वाचन अधिकारी चुने जाते हैं। लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय के दो अन्य वरिश्ठ अधिकारी और सभी राज्यों व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के सचिवों और एक–एक अन्य वरिश्ठ अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती हैं। (2017 के राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल निर्वाचन अधिकारी थे।)

प्रश्न 9– क्या कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन पत्र जमा कर सकता है ?ऐसे उम्मीदवार द्वारा जमानत की राशि क्या होगा ?

उत्तर – हाँ, एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र जमा कर सकता/सकती है। पर उसे केवल एक ही जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। (देखें – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 का खण्ड 5 बी (6) तथा 5 सी)

प्रश्न 10– राष्ट्रपति चुनाव में कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है ?

उत्तर – नहीं। कोई भी निर्वाचक राष्ट्रपति चुनाव के किसी एक ही उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है। यदि वह एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में प्रस्तावक या

समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करता/करती है तो उसके हस्ताक्षर केवल उसी नामांकन पत्र में मान्य होंगे, जो निर्वाचन अधिकारी के पास सबसे पहले जमा किया गया है। (देखें – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 का खण्ड 5 बी (5))

प्रश्न 11– उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्रों की जाँच कौन करता है, और इस जाँच के समय वहाँ कौन उपस्थित रह सकता है ?

उत्तर – निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित की गई तिथि तक निर्वाचन अधिकारी को जो भी नामांकन पत्र प्राप्त होते हैं, उनकी जाँच निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्य के लिए निर्धारित की गई तिथि पर (राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम के खण्ड 4 का उपखण्ड 1) की जाती है। जाँच के समय उम्मीदवार, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक या एक समर्थक और प्रत्येक उम्मीदवार की ओर से एक अधिकृत व्यक्ति (लिखित रूप से अधिकृत किया हुआ) ही वहाँ रहने के लिए अधिकृत हैं। उन्हें उम्मीदवारों का नामांकन पत्र जाँचने और नामांकन पत्रों के संदर्भ में आपत्तियाँ उठाने की तर्कसंगत सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

प्रश्न 12– राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के क्या आधार हैं ?

उत्तर – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 के खण्ड 5 ई के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई नामांकन पत्र निम्नलिखित आधारों पर रद्द किया जा सकता है–

1. नामांकनों की जाँच की तिथि पर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए संविधान के अनुसार पात्र नहीं है; या
2. यदि प्रस्तावकों या समर्थकों में से कोई नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के योग्य नहीं है, यानी वह निर्वाचन में निर्वाचक नहीं है; या
3. यदि नामांकन पत्र में निर्धारित संख्या में प्रस्तावकों और/या समर्थकों के हस्ताक्षर नहीं हैं; या

4. यदि उम्मीदवार या किसी प्रस्तावक या समर्थक के हस्ताक्षर असली नहीं हैं या धोखाधड़ी करके बनाए गए हैं;

या

5. यदि नामांकन पत्र उम्मीदवार ने स्वयं अथवा उनके किसी प्रस्तावक या समर्थक ने नहीं प्रस्तुत किया है, या यह निर्वाचन अधिकारी को इस कार्य के लिए निर्धारित तिथि व समय के अन्दर इस कार्य के लिए नियत स्थान पर नहीं दिया गया है, या उम्मीदवार निर्धारित तरीके से जमानत राशि जमा न कर पाया हो। यद्यपि यदि किसी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र का दूसरा सेट भी जमा किया है, और उसमें कोई कमी या अनियमितता नहीं है तो उसका नामांकन रद्द नहीं होगा। किसी उम्मीदवार का नामांकन किसी ऐसी कमी के कारण रद्द नहीं होगा, जो ठोस न हो।

प्रश्न 13– राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान कहाँ होता है ?

उत्तर – निर्वाचन आयोग मतदान के लिए सामान्यतः जो जगहें निर्धारित करता है, वे हैं– नई दिल्ली में संसद भवन का एक कक्ष, हर राज्य की व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के सचिवालय भवनों का एक कक्ष। (देखें – राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 का नियम 7)

प्रश्न 14– क्या निर्वाचक अपने मतदान का स्थान चुन सकते हैं ?

उत्तर – हाँ। सामान्यतः सांसद नई दिल्ली में मतदान करते हैं और राज्य विधानसभाओं व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सदस्य अपने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश की राजधानी में निर्धारित किए गए स्थान पर मतदान करते हैं, पर निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा दी है कि कोई सांसद किसी राज्य की राजधानी में मतदान कर सकते हैं। इसी तरह, अगर कोई विधायक मतदान के दिन दिल्ली में हैं तो वे संसद में बनाए गए मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकते हैं। पर यदि कोई सांसद या विधायक अपने लिए निर्दिष्ट स्थान के अलावा कहीं और मतदान करना चाहते/चाहती हैं, तो उन्हें आयोग को पर्याप्त समय पहले (दस दिन) सूचना देनी होगी,

तािक आवश्यक प्रबन्ध किए जा सकें। असाधारण परिस्थितियों में, सांसदों और विधायकों को आयोग द्वारा अन्य राज्यों की राजधानियों में मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है।

प्रश्न 15 – राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रयोग होने वाले मतपत्रों का रंग और स्वरूप कैसा होता है ?

उत्तर – निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतपत्र को दो रंगों में मुद्रित किया जाना चाहिए– सांसदों के लिए हरे रंग में और राज्यों के विधायकों के लिए गुलाबी रंग में। मतपत्रों के दो कॉलम होते हैं– पहले कॉलम में उम्मीदवारों के नाम होते हैं, और दूसरे कॉलम में निर्वाचकों को हर उम्मीदवार के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होती है। सांसदों के लिए मतपत्र हिन्दी में और अंग्रेजी में मुद्रित किए जाते हैं और विधायकों के लिए सम्बन्धित राज्य की आधिकारिक भाषा और अंग्रेजी में। (देखें– राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 का नियम 10)

प्रश्न 16– क्या हर निर्वाचक के वोट का मूल्य बराबर है ?

उत्तर – नहीं। विधायकों के वोट का मूल्य हर राज्य में अलग.अलग होता है। उनके वोट के मूल्य की गणना आगे दिए गए तरीके से की जाती है। पर सांसदों के वोट का मूल्य बराबर होता है।

प्रश्न 17– निर्वाचक.मण्डल के सदस्यों के वोटों के मूल्य की गणना कैसे की जाती है ?

उत्तर – निर्वाचकों के वोटों का मूल्य मुख्य रूप से राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है, जैसा संविधान की धारा 55 (2) 7 में वर्णित है। संविधान (84 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 के अनुसार जब तक 2026 में जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्यों की 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार माना जाएगा। राज्य की विधानसभा के हर सदस्य (जो निर्वाचक. मण्डल में शामिल हैं) के वोट के मूल्य की गणना के लिए सम्बन्धित राज्य की जनसंख्या (1971 की जनगणना के आधार पर) को विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की कुल

संख्या से भाग दिया जाता है, और फिर जो भागफल आता है, उसमें 1000 से भाग दिया जाता है। इस तरह, भाग देने के बाद यदि शेष 500 या इससे अधिक है, जो कुल मूल्य में 1 बढ़ा दिया जाता है। हर राज्य की विधानसभा के सभी सदस्यों के वोटों के कुल मूल्य की गणना के लिए विधानसभा की कुल निर्वाचित सीटों की संख्या को उस राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के वोट के मूल्य से गुणा कर दिया जाता है। सभी राज्यों के वोटों के मूल्य की उपर्युक्त विधि से गणना करने के बाद प्रत्येक राज्य के वोटों का जो मूल्य आया है, उसे जोड़कर उसमें संसद के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा (543, राज्यसभा 233) से भाग दिया जाता है। इस तरह संसद के प्रत्येक सदस्य के वोट का मूल्य निकाला जाता है। संविधान की धारा 55 (2) के अनुसार विधायकों और सांसदों के वोटों के मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है। (संलग्न)

प्रश्न 18– राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट देने का तरीका/प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर – आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से हर एक निर्वाचक उतनी प्राथमिकताओं को चिह्नित कर सकता है, जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए ये प्राथमिकताएँ निर्वाचक द्वारा उम्मीदवारों के नाम के आगे 1, 2, 3, 4, 5 आदि अंकित करके दी जाती हैं। ये प्राथमिकताएँ मतपत्र के कॉलम 2 में दिए गए स्थान पर अंकित की जाती हैं। प्राथमिकताएँ भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में या किसी भी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले स्वरूप में या रोमन अंकों के स्वरूप में अंकित की जा सकती हैं। परन्तु प्राथमिकताएँ शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती, जैसे– एक, दो, तीन आदि या पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता आदि। (देखें राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली का नियम 17)

प्रश्न 19– क्या राष्टपति के निर्वाचन में किसी निर्वाचक को सभी उम्मीदवारों के लिए प्राथमिकताएँ अंकित करना जरूरी है?

उत्तर – नहीं। मतपत्र अमान्य न हो, इसके लिए केवल पहली

प्राथमिकता को अंकित करना जरूरी है। अन्य प्राथमिकताओं को अंकित करना वैकल्पिक है।

प्रश्न 20– क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी दल–बदल विरोधी कानून लागू होता है ?

उत्तर – नहीं। निर्वाचक-मण्डल के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार वोट दे सकते हैं। वे किसी दल के ह्विप से बाध्य नहीं है। मतदान गुप्त मतदान की विधि से होता है। इसलिए दल का ह्विप इस चुनाव पर लागू नहीं होता।

प्रश्न 21– क्या संसद के किसी भी सदन के और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देने के लिए पात्र हैं ?

उत्तर – नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के केवल चुने हुए सदस्य ही निर्वाचक–मण्डल के सदस्य होते हैं। इसलिए इस निर्वाचन में मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते। (देखें – संविधान की धारा 54)

प्रश्न 22– क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई निर्वाचक प्रॉक्सी वोटिंग (किसी दूसरे के माध्यम से वोट डालना) कर सकता है ?

उत्तर – नहीं।

प्रश्न 23– क्या 'नोटा' का प्रावधान किया गया है ?

उत्तर – नहीं।

प्रश्न 24– क्या कोई दिव्यांग या असाक्षर निर्वाचक राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने के लिए किसी साथी की मदद ले सकता/सकती है ?

उत्तर – नहीं। संसद या विधानसभा के निर्वाचन की तरह राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई निर्वाचक किसी सहयोगी की मदद नहीं ले सकता/सकती। यदि यह असाक्षर होने के कारण या अंधेपन के कारण या किसी शारीरिक या अन्य विकलांगता के कारण मतपत्र को पढ़ने में व मतदान करने में असमर्थ है तो वह पीठासीन अधिकारी की मदद ले सकता/सकती है। पीठासीन अधिकारी नियमों के अनुसार निर्वाचक की

इच्छानुसार उसका वोट देने और उसे गुप्त रखने के लिए बाध्य हैं। (देखें – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 का नियम 19)

प्रश्न 25– यदि कोई निर्वाचक राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान निरुद्ध है तो वह अपना वोट कैसे दे सकता है ?

उत्तर – कोई निर्वाचक, जो निरुद्ध है, वह डाक मतपत्र द्वारा वोट दे सकता/सकती है। यह मतपत्र उसे निर्वाचन आयोग द्वारा उस स्थान पर भेजा जाएगा, जहाँ वह निरुद्ध है। (देखें– राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 का नियम 26)

प्रश्न 26– क्या राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार साधारण बहुमत से विजयी होता है या वोटों का कोई विशेष कोटा प्राप्त करने पर ?

उत्तर – चूँकि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से होता है, अतः हर निर्वाचक के पास उतनी प्राथमिकताएँ होती हैं, जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए वोटों का एक आवश्यक कोटा प्राप्त करना होता है, जो इस प्रकार है– कुल मतदान में से मान्य वोटों का 50 + 1 वोट। (देखें – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 की तालिका)

प्रश्न 27– मतपत्रों के अमान्य होने के क्या आधार हैं ?

उत्तर – निर्वाचन अधिकारी उन मतपत्रों को अमान्य मानकर अस्वीकृत कर सकते हैं, जिनमें– 1– अंक 1 अंकित नहीं है, या 2– अंक 1 एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे अंकित है, या वह इस तरह से अंकित है कि यह पता न चल पा रहा हो कि वह किसके नाम के आगे अंकित किया गया है; या 3– एक ही उम्मीदवार के नाम के आगे 1 और कोई दूसरा अंक भी अंकित किया गया हो; या 4– कोई ऐसा निशान बना हो, जिससे निर्वाचक की पहचान हो सके। यदि प्राथमिकताएँ अंको (1, 2 आदि) के बजाय शब्दों में (एक, दो आदि या पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता आदि) अंकित की गई हों तो भी मतपत्र

अमान्य हो जाएगा। डाक से प्राप्त मतपत्र पर यदि घोषणापत्र पर निर्वाचक के हस्ताक्षर को तथा मतपत्र के साथ लगे प्रमाणीकरण फॉर्म को उस फार्म पर निर्दिष्ट अधिकारी (जो सामान्यतया जेल के या उस स्थान के प्रभारी अधिकारी होंगे, जहाँ निर्वाचक को निरुद्ध किया गया है) द्वारा प्रमाणित न किया गया हो। (देखें – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 का नियम 31)

प्रश्न 28– राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतगणना की क्या प्रक्रिया है ? विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वोटों के कोटा का निर्धारण कैसे होता है ?

उत्तर – जब मान्य मतपत्र अमान्य मतपत्रों से अलग कर दिए जाते हैं तो मान्य मतपत्रों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बीच उन उम्मीदवारों को मिली पहली प्राथमिकता के आधार पर बाँट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक उम्मीदवार को मिली पहली प्राथमिकता वाले मतपत्रों की संख्या को उस मतपत्र वाले सदस्य (सांसद या विधायक) के वोट के मूल्य (जो मतपत्र पर अंकित होता है) से गुणा किया जाता है। फिर चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए, यह पता करने के लिए उस उम्मीदवार को सांसदों और विधायकों से प्राप्त वोटों को एक साथ जोड़ा जाता है। यह पहले दौर की गणना है। उम्मीदवार के चुने जाने के लिए वोटों का कोटा पर्याप्त है, यह निश्चित करने के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को पहले दौर की मतगणना में मिले वोटों के मूल्य को जोड़ दिया जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि चुनाव में पड़े कुल वैध वोटों का कुल मूल्य कितना है। फिर वैध वोटों के इस कुल मूल्य को दो से भाग दिया जाता है, और इस तरह प्राप्त हुए भागफल में एक जोड़ दिया जाता है। यदि कोई शेष बचता है, तो उसे छोड़ दिया जाता है। इस तरह से जो संख्या निकलती है, वही कोटा है। इसे प्राप्त करने पर ही कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होता है। यदि पहले दौर की मतगणना में किसी उम्मीदवार को मिले वोट कोटा के बराबर हैं या इससे अधिक हैं तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि पहले दौर की मतगणना में किसी उम्मीदवार को आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं

होता, तब मतगणना निष्कासन और अपवर्जन की प्रक्रिया के अन्तर्गत आगे बढ़ती है। इसमें सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है, और उनके सभी मतपत्र बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के बीच दूसरी प्राथमिकता के अंकों (यदि कोई हैं) के आधार पर बाँट दिए जाते हैं। इस तरह स्थानान्तरित किए गए मतपत्रों का मूल्य उसी मूल्य के बराबर होगा, जिस पर वे हटाए गए उम्मीदवार को प्राप्त हुए थे। जिन मतपत्रों पर दूसरी प्राथमिकता अंकित नहीं होगी, वे मतपत्र शून्य मान लिए जाएँगे और आगे उनकी गणना नहीं की जाएगी, भले ही उन पर तीसरी और उससे आगे की प्राथमिकताएँ अंकित हों। यदि इस स्तर पर भी, हटाए गए उम्मीदवारों के वोटों के वितरण के बाद भी, किसी उम्मीदवार को आवश्यक कोटा नहीं मिलता तो न्यूनतम वोट पाने वाले उम्मीदवारों के निष्कासन और अपवर्जन के आधार पर ही मतगणना आगे बढ़ती रहेगी, जब तक कि कोई उम्मीदवार वोटों का आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं कर लेता। यदि न्यूनतम वोट पाने वाले उम्मीदवारों के अपवर्जन के बाद भी कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं कर पाता, और अन्त में एक ही उम्मीदवार बच जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसे चुने जाने के लिए आवश्यक वोटों का कोटा न मिल पाया हो। (देखें – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974)

प्रश्न 29– राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटों की गिनती कहाँ होती है ?

उत्तर – वोटों की गिनती नई दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में होती है।

प्रश्न 30– राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार की जमानत की राशि कब जब्त हो जाती है ?

उत्तर – यदि उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हुआ, और उसे मिले वोट, इस निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए जितने वोट चाहिए, उसके 1/6 से कम हैं, तो उम्मीदवार की जमानत की राशि जब्त हो जाएगी। अन्यथा जमानत की राशि उम्मीदवार को वापस मिल जाएगी। (देखें – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 20 ए)

प्रश्न 31– क्या राष्ट्रपति पद के चुनाव–परिणाम को चुनौती दी जा सकती है? यदि हाँ, तो इसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर – हाँ। निर्वाचन समाप्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में चुनाव–याचिका प्रस्तुत करके राष्ट्रपति पद के चुनाव–परिणाम को चुनौती दी जा सकती है। यह चुनाव याचिका उम्मीदवार द्वारा या 20 या उससे अधिक निर्वाचकों द्वारा याचिकाकर्ता के रूप में एक साथ मिलकर प्रस्तुत की जा सकती है। याचिका विजयी उम्मीदवार के नाम की घोषणा का प्रकाशन होने की तिथि के बाद किसी भी समय प्रस्तुत की जा सकती है (राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 का खण्ड 12), पर यह उम्मीदवार के नाम की घोषणा का प्रकाशन होने के 30 दिन अन्दर प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। इन प्रावधानों के अनुसार संविधान की धारा 145 के अन्तर्गत ऐसी चुनाव याचिकाओं से जुड़े स्वरूप, तरीके और प्रक्रियाओं के बारे में उच्चतम न्यायालय व्यवस्था दे सकता है। (देखें – राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 के खण्ड 13 व 20)

प्रश्न 32– भारत के उप राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है ?

उत्तर – उप राष्ट्रपति का चुनाव सदस्यों का एक निर्वाचक–मण्डल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।

प्रश्न 33– उप राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या है ?

उत्तर – चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा होता है।

प्रश्न 34– उप राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ?

उत्तर – उप राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष का होता है।

प्रश्न 35– उप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए ?

उत्तर – संविधान की धारा 66 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो भारत का/की नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका/चुकी हो और राज्यों की विधान परिषदों का चुनाव लड़ने का/की पात्र हो, वह उप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो

सकता/सकती है। वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा/होगी, जो सरकारों के अन्तर्गत आने वाले किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार में लाभ के पद पर हो।

सेवा मतदाता (डाक मतपत्र और ई.टी.पी.बी.)

प्रश्न 1— सेवा मतदाता कौन होते हैं ?

उत्तर — सेवा मतदाता वे होते हैं, जिनके पास सेवा योग्यता होती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खण्ड 20 के उपखण्ड (8) के अनुसार सेवा योग्यता (service qualification) का अर्थ है – (अ) देश की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य होना; या (ब) किसी ऐसी सेना के सदस्य होना, जिस पर सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) में किया गया प्रावधान परिवर्तन सहित या परिवर्तन के बिना लागू होता हो; गया (स) राज्य की सशस्त्र पुलिस का सदस्य होना, पर तैनाती राज्य के बाहर हो; या (द) ऐसा व्यक्ति, जो भारत सरकार के अधीन काम कर रहा हो, पर भारत से बाहर सेवारत हो।

प्रश्न 2— निर्वाचक नामावली के संशोधन की उपयुक्त तिथि कौन सी है ?

उत्तर — निर्वाचक नामावली के संशोधन की उपयुक्त तिथि उस वर्ष की 1 जनवरी है, जिस वर्ष नामावली अन्तिम रूप से प्रकाशित हो रही हो।

प्रश्न 3— सेवा मतदाता, सामान्य निर्वाचक से किस तरह भिन्न है ?

उत्तर — सामान्य निर्वाचक का नामांकन उस निर्वाचन—क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होता है, जहाँ सामान्यत: उसका निवास स्थान है। पर सेवा योग्यता रखने वाला व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर 'सेवा मतदाता' के रूप में पंजीकृत हो सकता है, भले ही वह वास्तव में किसी दूसरी जगह (जहाँ पर सेवारत है) पर रह रहा हो। वैसे उसके पास यह विकल्प है कि, जहाँ वह सेवारत है, और

सामान्यतः अपने परिवार के साथ काफी समय के लिए जहाँ वह रहा है, वहाँ सामान्य निर्वाचक के रूप में पंजीकरण करवा ले।

प्रश्न 4— कौन—कौन से आवेदन पत्र हैं, जिस पर विभिन्न श्रेणियों के सेवा मतदाताओं को निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए आवेदन करना चाहिए ?

उत्तर — निम्नलिखित आवेदन पत्रों पर विभिन्न श्रेणियों के सेवा मतदाताओं को निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए आवेदन करना चाहिए – 1. सशस्त्र सेनाओं के सदस्य – फॉर्म 2, (2.) राज्य की सशस्त्र पुलिस के सदस्य, जो राज्य से बाहर सेवारत हैं– फॉर्म 2 ए, (3) भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति, जो भारत से बाहर सेवारत हैं– फॉर्म 3 – यद्यपि यदि कोई सेवारत कर्मचारी अपनी तैनाती की जगह पर (जहाँ वह वास्तव में रह रहा है) सामान्य निर्वाचक के रूप में अपना नामांकन कराना चाहता है तो अन्य सामान्य निर्वाचकों की ही तरह फॉर्म 6 भरना होगा।

प्रश्न 5— क्या सभी सशस्त्र सेनाओं/अर्ध सैनिक बलों के सदस्य सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र हैं ?

उत्तर — वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, भारतीय थलसेना, जल सेना और वायु सेना के सदस्य और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (सीमा सड़क संगठन), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (सीमा सुरक्षा बल), इण्डो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (भारत तिब्बत सीमा पुलिस), असम राइफल्स, नेशनल सिक्योरिटी गाड्र्स (राष्ट्रीय सुरक्षा गाड्र्स), सेण्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल), सेण्ट्रल इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) और सशस्त्र सीमा बल के कर्मचारी सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए पात्र हैं।

प्रश्न 6— फार्म 2/2ए/3 कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं ?

उत्तर — इन्हें भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (www.servicevoter.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रश्न 7— किसी सेवारत कर्मचारी को सेवा मतदाता के रूप मेंनामांकन कराने की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर – निर्वाचन आयोग वर्ष में दो बार सेवा मतदाताओं के लिए नामावलियों को संशोधित करने/अद्यतन बनाने का आदेश देता है। निर्वाचन आयोग रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेशी मामलों के मंत्रालय को संशोधन कार्यक्रम होने की सूचना भेजता है। जैसे ही कार्यक्रम की घोशणा होती है, सेवा–योग्यता रखने वाले व्यक्ति निर्धारित फॉर्म 2/2ए/3 (दो प्रतियों में) भरकर इसे रिकॉर्ड ऑफिस के प्रभारी अधिकारी या विदेशी मामलों के मंत्रालय में नोडल प्राधिकारी (जब व्यक्ति भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो और भारत से बाहर सेवारत हो) के पास जमा कर सकते हैं। जो व्यक्ति फॉर्म 2/2ए भर रहा है, उसे निर्धारित प्रपत्र पर एक घोषणा पत्र भी देना होता है कि वह किसी भी निर्वाचन–क्षेत्र में सामान्य निर्वाचक के रूप में पंजीकृत नहीं है। घोशणा पत्र दो प्रतियों में नहीं देना होता। प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी फॉर्म और घोशणा पत्र की जाँच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म हर दृष्टि से पूरा भरा है तथा जो विवरण आवेदक ने भरे हैं, वे सही हैं। इसके बाद, प्रभारी अधिकारी फॉर्म में दिए गए सत्यापन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और उसे सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेज देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी फॉर्म को सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। वे इसे निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को भेज देंगे। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी इस फॉर्म पर कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न 8– क्या सेवा मतदाता की पत्नी या पुत्र/पुत्री भी सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होते हैं ?

उत्तर – सेवा मतदाता की पत्नी भी सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होगी, यदि वह सामान्यतः उसके साथ रहती है। पत्नी भी उसी निर्वाचन–क्षेत्र में सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होगी, जिसका उस व्यक्ति ने उल्लेख किया है। सेवा मतदाता को फॉर्म 2/2ए/3 में इस आशय का विवरण देना होगा कि उसकी पत्नी सामान्यतः उसके साथ रहती है। पति द्वारा अपने आवेदन पत्र में की गई घोषणा के आधार पर ही पत्नी का सेवा मतदाता के रूप में नामांकन हो जाएगा, उसे अलग से कोई घोषणा पत्र/आवेदन पत्र नहीं देना होगा। सेवा मतदाता के पुत्र/पुत्री/रिश्तेदार/नौकर आदि, जो सामान्यतः उसके साथ

रह रहे हैं, उनका सेवा मतदाता के रूप में नामांकन नहीं हो सकता।

प्रश्न 9— क्या महिला सेवा मतदाता के पति को भी सेवा मतदाता के रूप में नामांकित होने की सुविधा प्राप्त है ?

उत्तर — वर्तमान कानून के अनुसार यह सुविधा केवल पुरुश सेवा मतदाता की पत्नी को ही प्राप्त है। महिला सेवा मतदाता के पति के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न 10— क्या कोई व्यक्ति एक ही साथ अपने निवास स्थान पर सेवा मतदाता के रूप में और अपनी तैनाती के स्थान पर सामान्य मतदाता के रूप में नामांकित हो सकता है ?

उत्तर — नहीं। जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 के खण्ड 17 और 18 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में नामांकित नहीं हो सकता। इसी तरह, कोई भी व्यक्ति एक निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नामांकित नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सेवा मतदाता के पास विकल्प है कि वह चाहे तो अपने जन्म स्थान पर सेवा मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराए या फिर अपनी तैनाती के स्थान पर सामान्य मतदाता के रूप में। जब कोई सेवा मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म 2/2ए पर आवेदन करता/करती है तो उसे निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा भी करनी पड़ती है कि वह किसी भी निर्वाचन.क्षेत्र में सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकित नहीं है।

प्रश्न 11— वर्गीकृत सेवा मतदाता कौन होता है ?

उत्तर — जो सेवा मतदाता सशस्त्र सेवा में हैं या किसी ऐसी सेना में हैं, जिन पर सेना अधिनियम, 1950 का प्रावधान लागू होता है, उनके पास विकल्प है कि वे या तो डाक मतपत्र से मतदान करें या किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मतदान (प्रॉक्सी) करें, जिसे उन्होंने अधिकृत किया हो। जो सेवा मतदाता किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुनता है, उसे वर्गीकृत सेवा मतदाता (सी.एस.वी.) कहा जाता है।

प्रश्न 12— 'प्रॉक्सी' कौन होता है ?

उत्तर — कोई सेवा मतदाता किसी व्यक्ति को अपने 'प्रॉक्सी' के रूप में

नियुक्त कर सकता/सकती है, जो उसके बदले और उसके नाम से मतदान केन्द्र पर मतदान करे। इसके लिए सेवा मतदाता को कण्डक्ट ऑफ इलेक्शन्स रूल्स, 1961 के फॉर्म 13 एफ पर निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। फॉर्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 'प्रॉक्सी' को उसी निर्वाचन–क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि वह एक पंजीकृत मतदाता हो, परन्तु उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 13– 'प्रॉक्सी' की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर – 'प्रॉक्सी' को नीचे दिए गए दो तरीकों से नियुक्त किया जा सकता है – (अ) यदि कोई सेवा मतदाता अपनी तैनाती के स्थान पर है तो उसे फॉर्म 13 एफ भरकर अपनी यूनिट के कमाण्डिंग ऑफीसर के सामने उस पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे, फिर उस फॉर्म को अपने 'प्रॉक्सी' के हस्ताक्षर के लिए भेजना होगा। 'प्रॉक्सी' उस फॉर्म पर नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने हस्ताक्षर करेगा/करेगी। इसके बाद 'प्रॉक्सी' फॉर्म को सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर सकता/सकती है। (ब) यदि कोई सेवा मतदाता अपने जन्म स्थान पर है तो वह और उसका/उसकी 'प्रॉक्सी' फॉर्म 13 एफ पर नोटरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा उसे सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी को भेज सकते हैं।

प्रश्न 14– 'प्रॉक्सी' कितने समय तक के लिए मान्य रहता है ?

उत्तर – 'प्रॉक्सी' के माध्यम से मतदान तब तक मान्य रहने का प्रावधान है, जब तक प्रॉक्सी की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति सेवा मतदाता है। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद प्रॉक्सी तब तक काम करता रहेगा/रहेगी, जब तक कि सेवा मतदाता उसकी नियुक्ति रद्द न कर दे। वर्गीकृत मतदाता द्वारा 'प्रॉक्सी' मतदाता की सुविधा कभी भी रद्द की जा सकती है और 'प्रॉक्सी' किसी भी समय या कितनी ही बार बदला/बदली जा सकता/सकती है। इस प्रकार कोई वर्गीकृत सेवा मतदाता 'प्रॉक्सी' को रद्द करने के लिए फिर से डाक मतदान का

विकल्प अपना सकता/सकती है या कण्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के फॉर्म 13 जी के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को सूचना देकर 'प्रॉक्सी' को बदल भी सकता/सकती है। (फॉर्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।) यह बदलाव उस तिथि से प्रभावी होगा, जिस दिन निर्वाचन अधिकारी को यह फॉर्म प्राप्त होगा।

प्रश्न 15— 'प्रॉक्सी' की नियुक्ति के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए ?

उत्तर — 'प्रॉक्सी' की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र निर्वाचन अधिकारी को नामांकन प्रपत्रों को जमा करने की आखिरी तारीख से पहले मिल जाना चाहिए। यदि 'प्रॉक्सी' की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र नामांकन प्रपत्र जमा करने की आखिरी तारीख के बाद मिलता है तो इस समय चल रहे निर्वाचन के लिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह बाद में होने वाले चुनावों के लिए मान्य होगा, यदि उसे रद्द न किया गया हो या बदला न गया हो।

प्रश्न 16— मतदान केन्द्र पर सेवा मतदाता की ओर से 'प्रॉक्सी' कैसे मतदान करता/करती है ?

उत्तर — 'प्रॉक्सी' सेवा मतदाता की ओर से उस मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकता/सकती है, जो सेवा मतदाता के दिया गया है। वह उसी तरह से मतदान करेगा/करेगी, जैसे उस मतदान केन्द्र का कोई दूसरा मतदाता करता/करती है। 'प्रॉक्सी' यदि उस निर्वाचन–क्षेत्र का/की पंजीकृत निर्वाचक है तो वह अपने मतदान केन्द्र पर अपने नाम से मतदान करने के अतिरिक्त सेवा मतदाता की ओर से भी मतदान करने के लिए अधिकृत होगा/होगी।

प्रश्न 17— क्या किसी वर्गीकृत सेवा मतदाता को निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र जारी किया जा सकता है ?

उत्तर — वर्गीकृत सेवा मतदाता को डाक मतपत्र जारी नहीं किया जा सकता, पर नियुक्त किया गया/की गई 'प्रॉक्सी' व्यक्तिगत रूप से आकर उस मतदान केन्द्र पर मतदान करेगा/करेगी, जिसके अन्तर्गत वर्गीकृत सेवा मतदाता के घर का पता आता है।

प्रश्न 18– निर्वाचक नामावली में सेवा मतदाताओं की सूची का क्या स्वरूप रहता है ?

उत्तर – वर्गीकृत सेवा मतदाताओं की सूची मतदान केन्द्रवार बनाई जाएगी, जबकि अन्य सेवा मतदाताओं की सूची अलग से पूरे निर्वाचन–क्षेत्र के लिए बनाई जाती है। उस निर्वाचन–क्षेत्र में जितने भी सेवा मतदाता पंजीकृत हैं, उन सबकी सूची निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के सबसे अन्त में एक अलग भाग के रूप में दी जाएगी। इस अन्तिम भाग में उस निर्वाचन–क्षेत्र के सभी सेवा मतदाताओं के नाम एक साथ लिखे जाएँगे, चाहे उनका निवास स्थान कोई भी हो। सेवा मतदाताओं का कोई विशेष मतदान केन्द्र नहीं होता। सेवा मतदाताओं के लिए जो आखिरी भाग होता है, उसके तीन उप भाग होते हैं– 'अ' (सशस्त्र सेनाओं के लिए), 'ब' (राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों के लिए, जो अपने राज्य के बाहर सेवारत हैं), और 'स' (भारत सरकार के अधीन उन पदों पर सेवारत हैं, जिनमें भारत से बाहर नियुक्ति होती है।)

प्रश्न 19– निर्वाचक नामावली का अन्तिम भाग, जिसमें सेवा मतदाताओं की सूची होती है, उसे वर्ष में कितनी बार अद्यतन किया जाता है ?

उत्तर – निर्वाचक नामावली के अन्तिम भाग/सेवा मतदाताओं की सूची को वर्ष में दो बार अद्यतन किया जाता है और एक वर्ष में दो पूरक सूचियाँ प्रकाशित की जाती हैं।

प्रश्न 20– सेवा मतदाताओं के लिए नामावली का अन्तिम भाग किस भाषा में तैयार किया जाता है ?

उत्तर – अन्तिम भाग, जिसमें सेवा मतदाताओं के नाम होते हैं, केवल अंग्रेजी में बनाया जाता है।

प्रश्न 21– क्या सेवा मतदाता को भी सामान्य निर्वाचक की तरह निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) दिया जाता है ?

उत्तर – सेवा मतदाता को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) नहीं दिया जाता। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र एक पहचान का अभिलेख है, जिसे निर्वाचक को मतदान के समय मतदान केन्द्र पर दिखाना होता है। चूँकि सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र

दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें मतदान केन्द्र पर स्वयं जाने की जरूरत नहीं होती। इसी कारण से उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रश्न 22– क्या किसी सेवा मतदाता को डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है ?

उत्तर – नहीं। निर्वाचन अधिकारी स्वयं उनके रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से उन्हें एक डाक मतपत्र भेजेंगे। (यह सीधे भी भेजा जा सकता है, या, यदि सेवा मतदाता भारत से बाहर सेवारत है तो विदेशी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भेजा जा सकता है।)

प्रश्न 23– सेवा मतदाता के रूप में कैसे मतदान करूँ ?

उत्तर – जब निर्वाचन की घोषणा होती है, तो आपके निर्वाचन.क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी आपको डाक मतपत्र भेजेंगे, जिसके साथ दो लिफाफे, एक घोषणा पत्र और मतदान के लिए निर्देश भी होंगे।

i. वोट देने के लिए मतपत्र पर अपनी पसन्द के उम्मीदवार के नाम के सामने X या ? का निशान लगाएँ। निशान स्पष्ट होना चाहिए। यदि आपके द्वारा लगाए गए निशान से यह स्पष्ट नहीं होता कि आपने किसे वोट दिया है तो आपका वोट अमान्य हो जाएगा।

ii. वोट देने के लिए जो निशान बनाया जाता है, उसके अलावा मतपत्र पर न तो हस्ताक्षर करें, न कुछ लिखें, न ही कोई अन्य निशान बनाएँ।

iii. मतपत्र पर निशान लगाने के बाद, यानी अपना वोट देने के बाद, मतपत्र को मतपत्र के साथ भेजे गए छोटे लिफाफे में रखें, जिस पर 'ए' लिखा है। इस लिफाफे को बन्द करके चिपका दें या उस पर सील लगा दें।

iv. यूनिट, जलयान या प्रतिष्ठान के कमाण्डिंग ऑफीसर द्वारा नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में फॉर्म 13 ए में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें। घोषणा पत्र में निर्धारित स्थान पर डाक मतपत्र का क्रमांक लिखना न भूलें।

v. अधिकारी आपके हस्ताक्षर को प्रमाणित करके घोषणापत्र

आपको लौटा देंगे। आप अपना मतपत्र प्रमाणित करने वाले अधिकारी को न दिखाएँ, न ही उनको यह बताएँ कि आपने वोट कैसे दिया है।

vi. घोषणा पत्र और छोटे लिफाफे को (जिस पर 'ए' लिखा है, और जिसमें आपने मतपत्र रखा है) बड़े लिफाफे में डाल दें, जिस पर 'बी' लिखा है। इस बड़े लिफाफे पर निर्वाचन अधिकारी का पता पहले से ही लिखा होता है।

vii. जिस लिफाफे पर 'बी' लिखा है, उस पर निर्धारित स्थान पर अपने पूरे हस्ताक्षर करें। यदि निर्वाचन अधिकारी ने आपको मतपत्र भेजने से पहले छोटे लिफाफे पर मतपत्र का क्रमांक (फॉर्म 13 बी) नहीं लिखा है तो आपको लिख देना चाहिए।

viii. बड़े लिफाफे को बन्द करने के बाद इसे डाक से या पत्रवाहक के माध्यम से निर्वाचक अधिकारी को भेज दें।

ix. आपको लिफाफे पर डाक टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका मतपत्र निर्वाचन अधिकारी के पास मतगणना के लिए निश्चित किए गए समय से पहले पहुँच जाए। इस समय का विवरण निर्देश प्रपत्र में दिया गया होगा।

प्रश्न 24– ई.टी.पी.बी. क्या है ?

उत्तर – ई.टी.पी.बी. का पूरा नाम है– इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट या इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजे गए डाक मतपत्र। डाक मतपत्र को भेजे जाने में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने ई.टी.पी.बी. शुरू किया है। इसमें सेवा मतदाता को डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजा जाता है। जब चुनाव की घोशणा होती है तो सम्बन्धित निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी सेवा मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतपत्र भेजते हैं, जिसमें मतदाता का विवरण पहले से ही भरा रहता है। सेवा मतदाता ई.टी.पी.बी. को डाउनलोड कर सके, इसके लिए ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड) भी दिया जाता है। ई.टी.पी.बी. को परम्परागत डाक मतपत्र की तरह भरकर डाक से निर्वाचन अधिकारी के पास वापस भेज देना चाहिए।

प्रवासी भारतीय निर्वाचक (विदेशों में रहने वाले निर्वाचक)

प्रश्न 1– प्रवासी निर्वाचक कौन होते हैं? क्या कोई प्रवासी भारतीय, जो विदेश में बस गया है, भारत की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हो सकता/सकती है ?

उत्तर – प्रवासी निर्वाचक वह व्यक्ति है, जो भारत का नागरिक है, और अपने रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारण से भारत में अपने निवास स्थान पर न रहकर किसी दूसरे देश में रहता/रहती है, पर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है, और वह उस निर्वाचन.क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है, जिसमें भारत में उसका निवास–स्थान स्थित है। वह निवास–स्थान, जो उसके पासपोर्ट में अंकित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खण्ड 20 ए के प्रावधानों के अनुसार, कोई प्रवासी भारतीय, जो विदेशी भूमि में बस गया है, भारत में निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हो सकता है।

प्रश्न 2– मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए कौन पात्र हैं ?

उत्तर – हर भारतीय नागरिक, जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है। यही बात विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होती है।

प्रश्न 3– फॉर्म 6 ए के साथ कौन से अभिलेख जमा करने होते हैं ?

उत्तर – एक पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो, जो फॉर्म में लगाया जाएगा, पासपोर्ट के उन पृष्ठों की फोटोकॉपी, जिनमें फोटो, भारत में पता और आवेदक के अन्य विवरण दर्शाए गए हों। इसके साथ ही, पासपोर्ट के उस पृष्ठ की भी फोटो कॉपी, जिसमें वैध वीजा पृष्ठांकित किया गया हो।

प्रश्न 4– दावे का आवेदन पत्र जमा करते समय और कौन सी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं ?

उत्तर – यदि आवेदन पत्र डाक से भेज रहे हों, तो उन सभी अभिलेखों की स्व–प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न करनी होंगी, जिनका उल्लेख ऊपर प्रश्न 3 के अत्तर में किया गया है। यदि आवेदन

व्यक्तिगत रूप से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा कर रहे हों तो पासपोर्ट को मूल रूप से सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 5– दावे के आवेदन पत्र और आपत्तियों के सत्यापन के लिए कौन सक्षम है ?

उत्तर – सम्बन्धित निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी।

प्रश्न 6– निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी का पता कहाँ से मिल सकता है ?

उत्तर – सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के प्त्र–व्यवहार के पते भारत निर्वाचन आयोग/सम्बन्धित राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट (जिसका लिंक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है) पर उपलब्ध हैं। विदेशों में भारतीय मिशनों से भी ये पते प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रश्न 7– यदि मैं ऑनलाइन आवेदन करता हूँ तो क्या मुझे फॉर्म 6 ए की हस्ताक्षर की हुई प्रति और साथ में आवश्यक अभिलेख निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास डाक से भेजने होंगे ?

उत्तर – हाँ। फॉर्म 6 ए की हस्ताक्षर की हुई प्रति और ऊपर प्रश्न 3 के उत्तर में दिए गए अभिलखों की स्व.प्रमाणित प्रतियाँ भेजना जरूरी है।

प्रश्न 8– निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई का नोटिस कहाँ भेजा जाएगा ?

उत्तर – निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा देश में ही आवेदक के बताए हुए पते पर नोटिस भेजा जाएगा, और यह मान लिया जाएगा कि आवेदक को नोटिस प्राप्त हो गया है।

प्रश्न 9– क्या आवेदक या सुनवाई वाले पक्षों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है ? यदि हाँ, तो सुनवाई किस प्रकार से की जाएगी ?

उत्तर – हर मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है। फॉर्म 6 ए प्राप्त होने के बाद निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी इस

फॉर्म की एक प्रति को नोटिस बोर्ड पर लगाएँगे। इस पर लोगों से सात दिन के अन्दर आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाएँगी। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सम्बन्धित बूथ लेवल ऑफीसर को आवेदक के परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों या पड़ोसियों (यदि कोई हों) से मिलकर आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं का सत्यापन करने को कह सकते हैं। यदि फॉर्म 6 ए ठीक तरह से भरा गया है, उसके साथ सभी आवश्यक अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न की गई हैं और 7 दिन के निर्धारित समय के अन्दर किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, तो पंजीकरण अधिकारी आवेदक के नाम को निर्वाचक नामावली में जोड़ने का आदेश दे सकते हैं। यदि नाम शामिल करने के लिए जमा किए गए फॉर्म 6 ए के दावों के सम्बन्ध में कोई आपत्तियाँ हैं तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी उस देश (जहाँ आवेदक रहता है) के भारतीय मिशन के किसी अधिकारी को नामांकित/अधिकृत करेंगे कि वे उठाई गई आपत्तियों के बारे में आवेदक का पक्ष जान लें। यदि आपत्तिकर्ता भी वहाँ उपलब्ध है तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। भारतीय मिशन के नामांकित किए गए अधिकारी द्वारा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को आख्या भेजी जाएगी, ताकि वे इस मामले में निर्णय ले सकें। किसी भी दशा में, विदेशों में रह रहे आवेदक/आपत्तिकर्ता को भारत में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी।

प्रश्न 10– दावों और आपत्तियों की सूची कहाँ देखी जा सकती है?

उत्तर – यह सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इस सूची को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकता है।

प्रश्न 11– प्रवासी भारतीय द्वारा अपने फॉर्म 6 ए के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर जमा किए गए स्व–प्रमाणित अभिलेखों का सत्यापन करने की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर – जैसे ही निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को फॉर्म 6 ए और उसके साथ संलग्न स्व–प्रमाणित अभिलेख प्राप्त होते हैं, वे

उन्हें क्षेत्र में सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित मतदान–क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफीसर को भेजेंगे। बूथ लेवल ऑफीसर आवेदक के पासपोर्ट में दिए गए घर के पते पर जाएँगे। वे अभिलेखों की स्व–प्रमाणित प्रतियों का सत्यापन करने के लिए आवेदक के रिश्तेदारों, यदि कोई हों, से पूछताछ करेंगे, और फिर इस सम्बन्ध में आख्या देंगे। उन मामलों में, जहाँ कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं हैं या कोई भी रिश्तेदार अभिलेखों के सत्पापन के सम्बन्ध में कुछ भी बताने को इच्छुक नहीं है या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी रिश्तेदारों द्वारा किए गए अभिलेखों के सत्यापन से सन्तुश्ट नहीं हैं तो ये अभिलेख सत्यापन के लिए उस देश के भारतीय मिशन को भेजे जाएँगे, जहाँ आवेदक रहता/रहती है। भारतीय मिशन में दावों के आवेदन पत्रों के सत्यापन के लिए अधिकृत अधिकारी आगे की कार्यवाही करेंगे, जैसा ऊपर प्रश्न 9 के उत्तर में उल्लेख किया गया है।

प्रश्न 12– कोई प्रवासी भारतीय यह कैसे जान पाएगा/पाएगी कि उसका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज हो गया है ?

उत्तर – निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के निर्णय से आवेदक को अवगत कराया जाएगा। इस निर्णय की प्रति आवेदक के पास डाक से विदेश के उस पते पर भेजी जाएगी, जो उसने फॉर्म 6 ए में दिया है। इसके अलावा, इस निर्णय की सूचना उस फोन नम्बर पर एस.एम.एस. द्वारा भी दी जाएगी, जो उसने फार्म 6 ए में दिया है। निर्वाचक नामावलियाँ सम्बन्धित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी उलब्ध होती हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है।

प्रश्न 13– प्रवासी भारतीय निर्वाचकों से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ निर्वाचक नामावली में कहाँ दर्ज की जाती हैं ?

उत्तर – प्रवासी भारतीय निर्वाचकों के नाम 'प्रवासी भारतीय निर्वाचक' खण्ड में अलग से दर्ज किए जाते हैं। यह निर्वाचन–क्षेत्र के उस भाग/मतदान केन्द्र की नामावली में अन्तिम खण्ड होता है, जिसमें पासपोर्ट के अनुसार भारत में उसका निवास– स्थान है।

प्रश्न 14– प्रवासी भारतीय निर्वाचकों से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में यदि कोई गलतियाँ हैं, तो उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है ?

उत्तर – निर्वाचक नामावलियों में गलतियों को ठीक करने के लिए फॉर्म 8 में आवेदन करना होगा। यह आवेदन पत्र सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा।

प्रश्न 15– निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने पर कौन आपत्ति कर सकता है ?

उत्तर – कोई भी व्यक्ति, जो सम्बन्धित निर्वाचन–क्षेत्र का/की मतदाता है, इस आधार पर निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने पर आपत्ति कर सकता/सकती है कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है या शामिल किया जाना प्रस्तावित है, वह उस निर्वाचन–क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म 7 भरकर सुसंगत प्रमाण संलग्न करके निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा किया जाना चाहिए।

प्रश्न 16 – प्रवासी भारतीय निर्वाचक जिस देश में रहता/रहती है, वहाँ यदि उसका वर्तमान आवास का पता बदलता है तो क्या इसकी सूचना निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को देनी चाहिए ?

उत्तर – हाँ। यह प्रवासी भारतीय निर्वाचक की जिम्मेदारी है कि वह जिस देश में रह रहा/रही है, वहाँ यदि उसके आवास के पते में कोई बदलाव होता है तो इसकी सूचना निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को दे।

प्रश्न 17– जब प्रवासी भारतीय निर्वाचक भारत लौटता/लौटती है और सामान्यतः भारत में रहने लगता/लगती है तो क्या इसकी सूचना निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को देनी चाहिए ?

उत्तर – हाँ। प्रवासी भारतीय मतदाता को यह जरूर करना चाहिए। इस तरह के मामले में उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण हो सकता है, जहाँ वह भारत में सामान्यतः निवास करता/करती है।

प्रश्न 18– कोई प्रवासी भारतीय निर्वाचक, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में नामांकित है, अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे कर सकता है ?

उत्तर – नामांकन के बाद, कोई प्रवासी भारतीय निर्वाचक चुनाव में अपने निर्वाचन–क्षेत्र के सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर (जहाँ वह प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है) स्वयं उपस्थित होकर वोट डाल सकता/सकती है।

प्रश्न 19– क्या किसी प्रवासी भारतीय निर्वाचक को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) दिया जाता है ?

उत्तर – प्रवासी भारतीय निर्वाचक को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिया जाता, क्योंकि उसे अपने निर्वाचन–क्षेत्र में होने वाले चुनाव में अपने मतदान केन्द्र पर स्वयं मतदान करने की अनुमति होती है। मतदान करने के लिए उस अपने पासपोर्ट को मूल रूप से दिखाना पड़ता है।

प्रश्न 20– यदि किसी प्रवासी भारतीय निर्वाचक को भारत में पहले से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है तो क्या उसे वह पहचान पत्र वापस लौटा देना चाहिए ?

उत्तर – हाँ, प्रवासी भारतीय निर्वाचक को यदि भारत में पहले निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी हो चुका है तो उसे वह फॉर्म 6 ए के साथ वापस लौटा देना चाहिए।

प्रश्न 21– कोई निर्वाचक नामावली में कब पंजीकृत हो सकता है ? क्या नामांकन पूरे वर्ष होता रहता है ?

उत्तर – भारत निर्वाचन आयोग सामान्यत: हर वर्ष वर्तमान निर्वाचक नामावलियों में संशोधन का आदेश देता है। यह संशोधन सितम्बर.अक्टूबर में किया जाता है। इस तरह संशोधित नामावलियाँ अगले वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने दावे का आवेदन पत्र (फार्म 6 ए) दावों और आपत्तियों के लिए दिए गए समय में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या नामित अधिकारी के पास जमा कर सकता है। अन्तिम प्रकाशन के बाद भी नामावलियाँ निरंतर अद्यतन की जाती रहती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति निरंतर अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया के दौरान भी दावे का आवेदन पत्र भरकर उसे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करके अपना पंजीकरण करा सकता/सकती है।

प्रश्न 22– क्या किसी का नामांकन एक से अधिक जगह पर हो सकता है ?

उत्तर – नहीं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खण्ड 17 व 18 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में एक से अधिक स्थानों पर नामांकित नहीं हो सकता। इसी तरह, कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में एक बार से अधिक नामांकित नहीं हो सकता। नए नामांकन के लिए आवेदन करते समय व्यक्ति को लिखित बयान देना पड़ता है/घोषणा करनी पड़ती है कि क्या उसका नाम पहले से ही किसी दूसरे निर्वाचक–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज है ?यदि यह बयान/घोषणा असत्य पाया जाता/पाई जाती है तो वह व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खण्ड 31 के अन्तर्गत दण्ड का पात्र होगा/होगी।

प्रश्न 23– यदि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध मुझे शिकायत करनी है तो मैं अपील कहाँ करूँ ?

उत्तर – संशोधन की अवधि के दौरान आप जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते/सकती हैं ? निरन्तर अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अधिशासी मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर के पास की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आगे की अपील राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास की जाएगी।

प्रश्न 24 – क्या कोई ऐसा न्यूनतम समय निर्धारित है कि कम से कम उतने समय कोई व्यक्ति देश से बाहर रहे, तभी वह प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में पंजीकरण करा पाएगा ?

उत्तर – ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है।

राजनीतिक दल

प्रश्न 1– क्या किसी संस्था के लिए यह जरूरी है कि वह निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हो ?

उत्तर – नहीं। हर एक संस्था के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हो। भारत के नागरिकों (व्यक्तिगत रूप से) की केवल उस संस्था या समूह के लिए ही भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना आवश्यक है, जो स्वयं को राजनीतिक दल कहता हो, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के भाग IV – ए के प्रावधानों (राजनीतिक दलों के पंजीकरण से सम्बन्धित) का उपयोग करने की इच्छा रखता हो।

प्रश्न 2– भारत निर्वाचन आयोग के पास पंजीकरण कराने के क्या लाभ हैं ?

उत्तर – भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को निःशुल्क चुनाव चिह्न आवंटित करने के मामले में पूरी तरह निर्दलीय उम्मीदवारों के बजाय प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, पंजीकृत राजनीतिक दलों को बाद में 'राज्य स्तरीय दल' या 'राष्ट्रीय दल' के रूप में भी मान्यता मिल सकती है। यह इस पर निर्भर करेगा कि वह आयोग द्वारा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 (जो समय–समय पर संशोधित किए गए) में दी गई शर्तों को किस स्तर तक पूरा करता है। यदि कोई दल 'राज्य स्तरीय दल' के रूप में मान्यता प्राप्त है तो वह अपने लिए आरक्षित चुनाव चिह्न को अपने उम्मीदवारों को उस राज्य में या उन राज्यों में आवंटित करने के लिए अधिकृत है, जहाँ वह मान्यता प्राप्त हो। यदि कोई राजनीतिक दल 'राष्ट्रीय दल' के रूप में मान्यता प्राप्त है तो वह पूरे देश में अपने उम्मीदवारों को अपने लिए आरक्षित चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए अधिकृत है। 'राज्य स्तरीय' और 'राष्ट्रीय' दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। वे निर्वाचक नामावलियों के दो सेट निःशुल्क प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत हैं। उन्हें आम चुनावों में आकाशवाणी/दूरदर्शन से प्रसारण करने की सुविधा भी मिलती है।

प्रश्न 3 – पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर – पंजीकरण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली – 110001 के पास जमा कराना होता है। आवेदन का प्रपत्र अनुरोध करने पर डाक से भी प्राप्त किया जा सकता है अथवा आयोग के कार्यालय के काउन्टर से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रपत्र और आवश्यक दिशा–निर्देश आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट पर यह मुख्य शीर्षक– जुडीशियल रिफरेन्सेज (न्यायिक निर्देश), उप शीर्षक– पॉलिटिकल पार्टी (राजनीतिक दल), और उप–उप शीर्षक– रस्ट्रिेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज (राजनीतिक दलों का पंजीकरण) के अन्तर्गत उपलब्ध है। इन्हें वहाँ से डाउनलोड भी किया जा सकता है। आवेदन पत्र को दल के लेटर हेड (यदि है, तो) पर साफ–साफ टाइप होना चाहिए। इसे दल के गठन के तीस दिन के अन्दर या तो पंजीकृत डाक से निर्वाचन आयोग के सचिव को भेजना चाहिए या व्यक्तिगत रूप से वहाँ जमा करना चाहिए। आवेदन पत्र में निम्नलिखित सूचनाएँ/अभिलेख अवश्य देने चाहिए–

I. प्रक्रियागत शुल्क के रूप में रुपये 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो अण्डर सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। प्रक्रियागत शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।

ii. साफ–साफ टाइप किया हुआ/मुद्रित स्मृति पत्र/नियमावली/दल का संविधान, जिसमें इस प्रकार का प्रावधान खास तौर से किया गया हो, जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खण्ड 29 ए, उप खण्ड (5) में दिया गया है, जो इस प्रकार है– "........................ (दल का नाम) विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण आस्था व निष्ठा रखेगी/रखेगा तथा भारत की सम्प्रभुता, एकता व अखंडता को

अक्षुंण रखेगी/रखेगा। ''उपर्युक्त प्रावधान को दल के संविधान/नियमावली/स्मृति पत्र के मूल पाठ में इसकी एक धारा/अनुच्छेद के रूप में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए।

iii. दल के संविधान का दल के महासचिव/अध्यक्ष/सभापति द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर प्रमाणीकरण होना चाहिए और हस्ताक्षरकर्ता की मुहर भी लगी होनी चाहिए।

iv. दल के संविधान/नियमावली/स्मृति पत्र में विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनाव कराने से सम्बन्धित स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, साथ ही, ये चुनाव कितने समय के अन्तराल पर होंगे तथा दल के पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होगा, इसका भी उल्लेख होना चाहिए।

v. दल का यदि विलयन/विसर्जन होता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका भी विवरण संविधान/नियमावली/स्मृति पत्र में होना चाहिए।

vi. नवीनतम निर्वाचक नामावली के प्रमाणित अंश, जिसमें दल के कम से कम 100 सदस्यों (सभी पदाधिकारियों/मुख्य सदस्यों, जो निर्णय लेने वाली समितियों आदि के सदस्य हों, जैसे– कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी परिषद्) के नाम हों, जिससे यह पता चल सके कि वे पंजीकृत निर्वाचक हैं।

vii. इस आशय का एक शपथ पत्र, कि दल का कोई भी सदस्य आयोग में पंजीकृत किसी दूसरे राजनीतिक दल का/की सदस्य नहीं है। यह शपथ पत्र दल के अध्यक्ष/महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/ओथ कमिश्नर/पब्लिक नोटरी के समक्ष हस्ताक्षरित हो।

viii. दल के कम से कम 100 सदस्यों के इस आशय के शपथ पत्र कि वह सदस्य एक पंजीकृत निर्वाचक है तथा आयोग में पंजीकृत किसी अन्य राजनीतिक दल का/की सदस्य नहीं है। यह शपथ पत्र प्रथम श्रेणी

मजिस्ट्रेट/ओथ कमिश्नर/पब्लिक नोटरी के समक्ष हस्ताक्षरित हो। ये शपथ पत्र ऊपर (VI) में वर्णित निर्वाचक नामावली के प्रमाणित अंशों के अतिरिक्त होंगे, जिसमें आवेदक दल के 100 सदस्यों के निर्वाचक होने का प्रमाण दिया गया है।

ix. दल के नाम के बैंक खातों और परमानेण्ट एकाउण्ट नम्बर, यदि कोई है तो, का विवरण।

x. पूरी तरह बनी हुई चेक लिस्ट, जिसके साथ आवश्यक निर्दिष्ट अभिलेख भी हों।

सभी आवश्यक अभिलेखों, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, सहित आवेदन पत्र निर्वाचन आयोग के सचिव के पास दल के गठन के 30 दिन के अन्दर पहुँच जाना चाहिए। इस अवधि के बाद आए आवेदन गतावधि हो जाएँगे।

प्रश्न 4 — किसी दल को मान्यता देने का मानदण्ड क्या है ?

उत्तर — कोई राजनीतिक दल निर्धारित मानदण्ड पूरे करके राज्य. स्तरीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है।

राज्य स्तरीय दल

कोई राजनीतिक दल राज्य—स्तरीय दल के रूप में तभी, और केवल तभी मान्यता पा सकेगा, जब वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करे—

i. राज्य में पिछले विधानसभा आम चुनाव में दल के उम्मीदवारों ने राज्य में पड़े कुल वैध वोटों में से 6 : से कम वोट न प्राप्त किए हों, और, इसके अलावा, इस आम चुनाव में दल के कम से कम दो सदस्य राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हों; या

ii. लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य से दल के उम्मीदवारों को राज्य में पड़े कुल वैध वोटों में से 6: से कम वोट न पड़े हों, और, इसके अलावा, इस आम चुनाव में दल का कम से कम एक सदस्य उस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ हो; या

iii. राज्य में विधानसभा के पिछले आम चुनाव में दल ने

विधानसभा की कुल सीटों में से कम से कम 3: सीटें (यदि भिन्न में कोई संख्या आधे से अधिक होगी तो वह एक मानी जाएगी) या विधानसभा की कम से कम तीन सीटें (जो भी अधिक हो) जीती हों, या

iv. लोकसभा के लिए हुए पिछले आम चुनाव में दल का राज्य से हर 25 सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य (या उसका कोई भाग) चुनाव जीता हो; या

v. लोकसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य से, या राज्य के पिछले विधानसभा आम चुनाव में दल के उम्मीदवारों ने राज्य में पड़े कुल वैध वोटों में से 8: से कम न प्राप्त किए हों।

राष्ट्रीय दल

कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता सिर्फ, और सिर्फ तभी पा सकता है, जब वह नीचे दी गई शर्तें पूरी करता हो–

i. दल के उम्मीदवारों ने किन्हीं चार या चार से अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव में या सम्बन्धित राज्य के विधानसभा आम चुनाव में प्रत्येक राज्य में कुल पड़े वैध वोटों में से 6 : से कम न प्राप्त किए हों, और इसके अलावा, लोकसभा के उपर्युक्त आम चुनाव में किसी भी राज्य या राज्यों से उस दल के कम से कम चार सदस्य चुनाव जीते हों; या

ii. दल कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता–प्राप्त हो

प्रश्न 5– यदि आप किसी मान्यता–प्राप्त राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार हैं तो आपको नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों की जरूरत होगी ?

उत्तर – केवल एक।

प्रश्न 6 – यदि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं या किसी गैर मान्यता.प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं, तो आपको कितने प्रस्तावकों की जरूरत पड़ेगी ?

उत्तर – दस।

भाग2 : शब्दावली

1. **पूर्ण बहुमत** – सदन की कुल सदस्य संख्या के 50: से सदस्य होना।
2. **वयस्क मताधिकार** – इसका अर्थ है कि सभी वयस्कों को सार्वजनिक चुनावों में वोट देने का अधिकार है।
3. **सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी** – ये अधिकारी हर एक विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के लिए नामित किए जाते हैं। ये निर्वाचक नामावली तैयार करने या उसमें संशोधन करने के काम में निर्वाचन अधिकारी का सहयोग करते हैं।
4. **सहायक निर्वाचन अधिकारी** – निर्वाचन–प्रक्रिया के संचालन में निर्वाचन अधिकारी का सहयोग करते हैं।
5. **सहायक मतदान केन्द्र** – जहाँ किसी मतदान–क्षेत्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, वहाँ वर्तमान मतदान केन्द्र के दो या तीन हिस्से करके सहायक मतदान केन्द्र बनाए जाते हैं। सामान्यतः ये सहायक मतदान केन्द्र उसी मतदान केन्द्र वाली जगह पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर मुख्य (मूल) मतदान केन्द्र था। सहायक मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या मुख्य मतदान केन्द्र की क्रम संख्या के पीछे कुछ और अंक या वर्ण जोड़कर बनाई जाती है, जैसे– '100', '100ए/1', '100ए/2' आदि।
6. **मतपेटी** – एक सीलबन्द बक्सा, जिसमें मतदाता अपने पूरे भरे हुए मतपत्र डालते हैं।
7. **मतपत्र** – गुप्त मतदान की एक विधि, जिसमें मतपत्रों पर लिखकर वोट दिया जाता है, जैसा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है, या मतदान मशीन के माध्यम से होता है, जैसा लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में होता है।
8. **बूथ लेवल एजेण्ट** – निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने और उनमें संशोधन करने में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने के लिए बूथ लेवल एजेण्टों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। बूथ लेवल एजेण्ट नामावलियों के संशोधन के दौरान बूथ लेवल

ऑफीसर के पूरक के रूप में काम करेंगे। यह व्यवस्था उसी तरह से की गई है, जैसे चुनाव के दौरान मतदान एजेण्ट/मतगणना एजेण्ट नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः निर्वाचक नामावली में एक भाग के लिए एक बूथ लेवल एजेण्ट की नियुक्ति की जाती है। पर एक बूथ लेवल एजेण्ट को निर्वाचक नामावली के एक से अधिक भागों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, यदि निर्वाचक नामावली के उन भागों के मतदान केन्द्र भी उसी मतदान केन्द्र के क्षेत्र में हों। बूथ लेवल एजेण्ट को निर्वाचक नामावली के उसी भाग में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि बूथ लेवल एजेण्ट अपने रहने के क्षेत्र में नामावली के मसौदे की प्रविष्टियों की छानबीन करेगा/करेगी, ताकि जिनका देहान्त हो गया है या जिन्होंने वह स्थान छोड़ दिया है, उनके बारे में जानकारी मिल सके।

9. **बूथ लेवल ऑफीसर**– बूथ लेवल ऑफीसर एक स्थानीय सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो स्थानीय निर्वाचकों से परिचित होते हैं और सामान्यतः उसी मतदाता–क्षेत्र के मतदाता होते हैं। वे अपनी स्थानीय जानकारी का उपयोग करके नामावली को अद्यतन बनाने में सहायता करते हैं। वे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की देखरेख में काम करते हैं, और जो मतदाता–क्षेत्र उन्हें दिया गया है, उस क्षेत्र में निर्वाचकों से सम्बन्धित सूचनाओं/ आँकड़ों का सत्यापन करने, उनका संग्रहण करने और निर्वाचक नामावली या उसका एक भाग तैयार करने का दायित्व निभाते हैं।

10. **उप चुनाव** – आम चुनावों के बीच में यदि किसी निर्वाचित सदस्य की सीट खाली हो जाती है तो उप चुनाव कराया जाता है। अधिकतर मामलों में ऐसी स्थिति तब आती है, जब सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता/देती है। पर कभी–कभी ऐसी स्थिति तब भी पैदा होती है, जब सदस्य आगे सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो जाए।

11. **उम्मीदवार** – कोई व्यक्ति, जो चुनाव में खड़ा होता है– वह किसी राजनीतिक दल का प्रत्याशी भी हो सकता है और निर्दलीय भी।

12. **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** – यह सिविल सेवा के सदस्य होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के गैर पक्षपाती मुखिया होते हैं।

13. **मुख्य निर्वाचक अधिकारी** – एक सरकारी अधिकारी, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की देखरेख करने, निर्देशन देने और नियंत्रण रखने के लिए पदनामित किया जाता है। ये राज्य में निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, उनमें संशोधन करने और सुधार करने के काम का भी पर्यवेक्षण करते हैं।

14. **दावे और आपत्तियाँ** – ये निर्वाचक नामावलियों में नाम शामिल करने/सुधार करने या उनसे नाम हटाने या एक नामावली से नाम हटाकर दूसरी नामावली में जोड़ने के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्रों के वैधानिक फॉर्म (फॉर्म 6, 6ए, 7, 8, 8ए, 17, 18 व 19) हैं।

15. **निर्वाचन–क्षेत्र** – यह क्षेत्र समय–समय पर संशोधित होता रहता है। परिसीमन से एक विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र व लोकसभा निर्वाचन–क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण होता है। कई विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र मिलकर एक लोकसभा निर्वाचन–क्षेत्र बनाते हैं। सभी विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन–क्षेत्र, क्षेत्र–आधारित होते हैं, यानी इनकी भौगोलिक सीमाएँ निश्चित रहती हैं। केवल सिक्किम का 'संघ विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र' इसका अपवाद है, जिसमें पूरे सिक्किम राज्य में फैले विभिन्न मान्यता प्राप्त मठों में रहने वाले संन्यासी (बौद्ध भिक्षु) शामिल हैं।

16. **भारत का संविधान** – यह भारत का सर्वोच्च कानून है। यह मूल राजनीतिक सिद्धान्तों की व्याख्या करता है तथा सरकारी संस्थानों के स्वरूप, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। साथ ही, नागरिकों के मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्त्वों और दायित्वों के बारे में बताता है। यह किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।

17. **मतदाता दिवस** – वह दिन, जब मतदान में पड़े वोटों की गिनती होती है और परिणाम की घोषणा होती है।

18. **सी.एस.वी.**– सेवा मतदाता, जो सशस्त्र सेवाओं में या अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, जिन पर आर्मी ऐक्ट, 1950 के प्रावधान लागू होते हैं, उनके पास यह विकल्प होता है कि वे चाहें तो डाक से मतदान करें या फिर अपने लिए मतदान करने के लिए किसी 'प्रॉक्सी' को नियुक्त कर दें। जो सेवा मतदाता 'प्रॉक्सी' के माध्यम से वोट देना चाहते हैं, उन्हें

वर्गीकृत सेवा मतदाता (सी.एस.वी.) कहा जाता है।

19. **नाम हटाना** – यह निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा फॉर्म 7 में जमा किए गए आवेदन पत्र के आधार पर निर्वाचक नामावली से किसी निर्वाचक का नाम हटाने की प्रक्रिया है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी स्वत: संज्ञान लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करके भी किसी का नाम निर्वाचक नामावली से हटा सकते हैं।

20. **परिसीमन** – परिसीमन का अर्थ है, देश के या राज्य के, जिसमें विधायी निकाय हों, सभी निर्वाचन–क्षेत्रों की सीमा को तय करने की प्रक्रिया।

21. **परिसीमन आयोग** – भारत परिसीमन आयोग या भारत सीमा आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाया जाता है। इस आयोग का मुख्य काम है– नवीनतम जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन–क्षेत्रों का फिर से निर्धारण करना।

22. **जिला निर्वाचन अधिकारी** – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्बन्धित जिला प्रशासन के मुखिया (कलक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में, उनके नियंत्रण में व उनके अधीन काम करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में या अपने अधिकार–क्षेत्र के अन्तर्गत सभी संसदीय, विधानसभा और परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और उनमें संशोधन करने से सम्बन्धित सभी कामों का संचालन करेंगे और उसका पर्यवेक्षण करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्वाचन–केन्द्र उपलब्ध कराने, निर्वाचन केन्द्रों की सूची प्रकाशित कराने और निर्वाचन के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने का दायित्व भी होता है।

23. **निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी** – निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और उनमें संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से सम्बन्धित राज्य सरकार के किसी अधिकारी को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में पदनामित/नामांकित करता है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अपने कार्य–क्षेत्र में आने वाले निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार

करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत होते है।

24. **निर्वाचक नामावली** – यह सामान्यतः मतदाता सूची कहलाती है। निर्वाचक नामावली किसी निर्वाचन–क्षेत्र में रहने वाले उन व्यक्तियों की सूची है, जो पंजीकृत निर्वाचक हैं। उपयुक्त प्रबन्धन के लिए किसी निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली कई भागों में विभाजित होती है, जिनमें अलग–अलग मतदान केन्द्रों के निर्वाचकों का विवरण सम्मिलित होता है।

25. **ई.पी.आई.सी. (मतदाता फोटो पहचान पत्र)** – यह पहचान पत्र निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा अपने अधीन आने वाले विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत निर्वाचकों को जारी किया जाता है। इस पहचान पत्र का उपयोग मतदान के समय निर्वाचक की पहचान को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है।

26. **निर्वाचन** – यह निर्णय लेने की एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से लोग शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं।

27. **चुनाव–प्रचार** – राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचकों को अपने दल के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित करने का प्रयास।

28. **भारत निर्वाचन आयोग** – भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो भारत में निर्वाचन–प्रक्रिया का प्रबन्ध करने का दायित्व निभाती है। यह संस्था देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधान मण्डलों और राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करती है। निर्वाचन आयोग संविधान की धारा 324 तथा उसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा दिए गए प्राधिकार के अन्तर्गत ये दायित्व निभाता है। संविधान के अन्तर्गत आयोग को अधिकार है कि चुनावों को सम्पन्न कराने में आने वाली परिस्थितियों से निपटने में जहाँ मौजूदा कानून अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हों, वहाँ उपयुक्त तरीके से निर्णय लेकर कार्य सम्पन्न कराए।

29. **चुनाव आयुक्त** – चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार की संस्तुति पर की जाती है। चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं। वे 6 वर्ष तक या 65 वर्ष के उम्र तक (जो भी पहले हो) अपने पद पर बने रह सकते हैं।

30. **निर्वाचक–मण्डल** – यह लोगों का एक समूह है, जो राष्ट्रपति व

उपराष्ट्रपति चुनावों में औपचारिक रूप से मतदान करते हैं।

31. **ई.वी.एम. – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन** – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) में दो इकाइयाँ होती हैं– एक नियंत्रण इकाई और एक मतपत्र इकाई– ये दोनों पाँच मीटर लम्बे एक तार से जुड़ी रहती हैं। नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहती है और मतपत्र इकाई मतदान कक्ष में रखी जाती है। मतदाता को मतपत्र देने के बजाय नियंत्रण इकाई का प्रभारी मतदान अधिकारी मतपत्र वाला बटन दबाएगा/दबाएगी। इसके बाद मतदाता मतपत्र इकाई पर अपनी पसन्द के उम्मीदवार और चिह्न के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना वोट दे सकता/सकती है।

32. **न मिटने वाली स्याही** – यह एक अर्ध स्थायी स्याही या रंग है, जो मतदान से पहले मतदाता के बाएँ हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाई जाती है, ताकि निर्वाचन में गड़बड़ी जैसे– दो बार मतदान करना, को रोका जा सके।

33. **विधानसभा** – विधानसभा में राज्य के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके सीधे चुने हुए सदस्य होते हैं। विधानसभा के चुनावों के द्वारा ही राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रि–मण्डल के सदस्य और बाकी विधायक चुने जाते हैं।

34. **विधान–मण्डल** – इसके पास कानून बनाने का अधिकार होता है।

35. **स्थानीय शासकीय निकाय** – एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र, यथा– शहर, नगर, देश या राज्य के लिए प्रशासनिक निकाय।

36. **एम.एल.ए. (विधानसभा सदस्य)** – शासन की भारतीय पद्धति में राज्य के विधान–मण्डल के लिए एक निर्वाचन जिले (निर्वाचन–क्षेत्र) के मतदाताओं द्वारा चुना गया प्रतिनिधि।

37. **नोटा (NOTA)**– इसका पूरा नाम है – 'नन ऑफ द अबव' यानी 'उपर्युक्त में से कोई नहीं'। यह विकल्प अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया। सभी ई.वी.एम. और मतपत्रों पर यह विकल्प दिया जाता है। यह उन मतदाताओं के लिए है, जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते, पर अपने निर्णय को गुप्त रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग भी करना चाहते हैं।

38. **नगर पंचायत** – यह भारत में एक नगरीय राजनीतिक इकाई का रूप है। एक ऐसे नगर में जिसकी जनसंख्या 30,000 से अधिक व 1,00,000 से कम हो, वहाँ 'नगर पंचायत' गठित होती है।

39. **एन.वी.डी. – नेशनल वोटर्स डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस** – निर्वाचन आयोग ने अपने स्थापना दिवस – 25 जनवरी के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एन.वी.डी. या नेशनल वोटर्स डे) मनाना शुरू किया है। इसका उद्देश्य है– निर्वाचकों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना।

40. **एन.वी.एस.पी. (नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल)**– राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल निर्वाचक आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। यह नागरिकों और निर्वाचन कर्मियों को निर्वाचक नामावलियों में पंजीकरण से सम्बन्धित कुछ ई–सेवाएँ उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल 25 जनवरी, 2015 से शुरू किया गया था।

41. **आपत्तियाँ** – निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने के प्रस्ताव या पहले से ही शामिल नाम के विरुद्ध कोई व्यक्ति आपत्ति कर सकता है। आपत्तियाँ फॉर्म 7 के माध्यम से की जा सकती हैं।

42. **सामान्यतः निवासी** – (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का खण्ड 20) कोई व्यक्ति किसी स्थान का सामान्यतः निवासी तब कहा जाता है, जब वह उस स्थान पर सोता है। वह उस स्थान पर खाता भी हो, यह जरूरी नहीं है। वह बाहर कहीं दूसरी जगह भी खा सकता है। थोड़े समय के लिए यदि वह इस स्थान से अनुपस्थित भी रहता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह जरूरी नहीं है कि वह किसी निश्चित अवधि तक लगातार वहाँ रहे और बिना किसी अन्तराल के रहे। काम, रोजगार, यहाँ तक कि मौज–मजे के लिए अस्थायी अनुपस्थिति को सामान्यतः निवासी की अवधारणा में व्यवधान नहीं माना जाएगा। जो व्यक्ति रोजगार या व्यवसाय के लिए देश से बाहर गए हैं, उनके लिए यह माना जाएगा कि वे उस स्थान को छोड़कर चले गए हैं। मात्र किसी भवन या अचल सम्पति का स्वामित्व या कब्जा, इसके स्वामी को वहाँ का निवासी होने की योग्यता नहीं प्रदान करता। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहा रहा है और कोई

फुटपाथ पर बिना छत के रह रहा है तो वे पंजीकृत होने के पात्र हैं, बशर्ते वे एक क्षेत्र–विशेष में झोपड़ी में या फुटपाथ पर रहते हों, और अपने रहने की जगह बदलते न हों और उन्हें वहाँ पर पहचाना जा सके।

43. **फोटो मतदाता परची (फोटो वोटर स्लिप)** – जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को पहले से मुद्रित आधिकारिक मतदाता परची बाँटी जाती है, ताकि उन्हें मतदान के दिन सुविधा हो। इसमें मतदाता की फोटो और अन्य विवरण रहता है, जैसे– निर्वाचन–क्षेत्र का नाम व क्रमांक, भाग संख्या, लिंग, ई.पी.आई.सी. संख्या, क्रम संख्या, मतदान केन्द्र संख्या और नाम तथा मतदान की तिथि, दिन व समय।

44. **मतदान–क्षेत्र** – मतदान–क्षेत्र एक स्पष्ट और पहचान.योग्य क्षेत्र होता है, जिसका कुछ भौतिक पहचान–चिह्नों, जैसे– गली, सड़क, नदी, पहाड़, आदि, से सीमांकन किया जाता है। उस मतदान–क्षेत्र में रहने वाले सभी निर्वाचकों को निर्वाचक नामावली में एक अलग भाग में नामांकित किया जाता है, और वे उस मतदान केन्द्र पर मतदान करते हैं, जो उस मतदान.क्षेत्र के लिए बनाया गया है। हर एक निर्वाचन–क्षेत्र कई मतदान–क्षेत्रों में बँटा होता है।

45. **मतदान–दल या मतदान कर्मी**– निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न किए जाने मतदान के दौरान हर मतदान केन्द्र पर निर्वाचन की व्यवस्था के लिए 4–5 सरकारी कर्मियों का एक दल रहता है। प्रत्येक मतदान–दल के मुखिया एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है।

46. **मतदान केन्द्र**– यह एक कमरा/हॉल होता है, जो मतदान के लिए निश्चित किया जाता है। वहाँ सम्बन्धित मतदान– क्षेत्र के मतदाता मतदान के दिन अपना वोट डालने के लिए आते हैं। इसे 'मतदान कक्ष' भी कहा जाता है।

47. **मतदान केन्द्र/मतदान सेण्टर**– मतदान केन्द्र सीन/ मतदान सेण्टर वह भवन या परिसर है, जहाँ एक या एक से अधिक मतदान केन्द्र हों।

48. **डाक मतपत्र**– सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी किए जाते हैं,

ताकि वे अपनी तैनाती के स्थान से ही मतदान कर सकें। पूरा भरने के बाद मतपत्र को डाक से निर्वाचन अधिकारी के पास भेजना चाहिए।

49. **पंचायत**– भारत में अब पंचायती राज शासन की एक व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की प्राथमिक इकाई है। इस व्यवस्था में तीन स्तर हैं– ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), मण्डल परिशद् या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर पर), और पंचायत (जिला स्तर पर)

50. **भारत की संसद** – यह भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संसद में राष्ट्रपति और सदन शामिल होते हैं। इसमें दो सदन हैं– राज्यसभा और लोकसभा।

51. **प्रॉक्सी** – कोई सेवा मतदाता, जो सशस्त्र सेना में या अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत हो, वह अपनी ओर से अपने ही नाम से मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति को 'प्रॉक्सी' के रूप में नियुक्त कर सकता/सकती है। 'प्रॉक्सी' वयस्क व्यक्ति होगा/होगी और सामान्यतः उसी निर्वाचन–क्षेत्र का मतदाता होगा/की मतदाता होगी। जरूरी नहीं है कि वह पंजीकृत मतदाता हो, पर उसे पंजीकृत मतदाता होने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए।

52. **सार्वजनिक शिकायतों की निवारण प्रणाली** – नागरिकों से प्राप्त निर्वाचक नामावलियों व ई.पी.आई.सी. से सम्बन्धित शिकायतों को रिकॉर्ड करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया है।

53. **चयनित तिथि** – यह वह तिथि है, जो निर्वाचक नामावली तैयार होते समय या संशोधित होते समय उसमें नामांकित होने के लिए पात्रता तय करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है। वर्तमान में, चयनित तिथि उस वर्ष की पहली जनवरी है, जब निर्वाचक नामावली अन्तिम रूप से प्रकाशित हो रही हो। कोई व्यक्ति, जो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने का इच्छुक है, उसकी पात्रता चयनित तिथि से ही निर्धारित होगी।

54. **निर्वाचन अधिकारी** – निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से सम्बन्धित राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य विधानसभा या संसदीय चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में

पदनामित / नामांकित करता है।

55. **नामावलियों का संशोधन** – नामावलियों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और इन्हें अद्यतन बनाने के लिए मौजूदा कानूनों और नियमों में नामावलियों को निश्चित अवधि पर संशोधित करने का प्रावधान है। संशोधन चार प्रकार के हैं– (1) गहन, (2) संक्षिप्त, (3) आंशिक रूप से गहन व आंशिक रूप से संक्षिप्त, (4) विशेश।

56. **गहन संशोधन** – बी.एल.ओ. प्रत्येक घर में जाते हैं और घर के पात्र सदस्यों के विवरण निर्वाचक प्रपत्र में लिख देते हैं। निर्वाचक प्रपत्र की एक प्रति घर के मुखिया को सौंप दी जाती है। उनकी अनुपस्थिति में यह परिवार के किसी वयस्क सदस्य को सौंपी जाती है। इस गणना के आधार पर नामावली का ड्राफ्ट तैयार और प्रकाशित किया जाता है। इस पर दावे और आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। दावों और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त नामावलियों को अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाता है। गहन संशोधन के बाद नए सिरे से निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है।

57. **संक्षिप्त संशोधन** – आयोग के आदेशानुसार सभी विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त संशोधन सामान्यतः हर वर्ष किया जाता है। संक्षिप्त संशोधन में घर–घर जाकर गणना नहीं की जाती। वर्तमान नामावली को ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित कर दावे और आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। दावों और आपत्तियों को जमा करने के लिए दी गई अवधि में प्राप्त दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद नामावली अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी जाती है।

58. **आंशिक रूप से गहन व आंशिक रूप से संक्षिप्त संशोधन**– वर्तमान नामावली को ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है। साथ ही साथ, गणनाकर्ता / बी.एल.ओ. सत्यापन के लिए घरों में भेजे जाते हैं। दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद नाम जोड़ने, नाम हटाने और सुधार करने की पूरक सूचियाँ बनाई जाती हैं। फिर इन्हें मूल (मातृ) नामावली के साथ मिलाकर अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाता है।

59. **सेक्शन** – यह मतदान केन्द्र के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से पहचान योग्य क्षेत्र है। यह स्थान और क्षेत्र का विवरण देता है, और इसमें व्यक्तिगत

रूप से हर घर के निर्वाचक का विवरण रहता है। इसमें बस्तियों का वितरण, भौगोलिक पहचान चिह्न, गलियों का विवरण, सड़कों का विवरण, प्राकृतिक बाधाएँ आदि आदि इंगित किए जाते हैं। किसी सेक्शन में निर्वाचकों की कोई निश्चित संख्या तय नहीं है। यह 50 से 100 तक हो सकती है।

60. **सेवा मतदाता** – सेवा मतदाता वह व्यक्ति है, जो सेवा– योग्यता रखता हो, जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में वर्णित है। मुख्य रूप से, सेना के तीनों अंगों के सदस्य, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल, राज्यों की सशस्त्र पुलिस के कर्मी, जो राज्य से बाहर तैनात हैं, और भारत सरकार के अधीन उन पदों पर सेवारत व्यक्ति, जो विदेशों में तैनात हैं, वे सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र हैं। सेवा मतदाता के रूप में व्यक्ति अपने जन्म–स्थान पर ही पंजीकृत होता/होती है, चाहे उसकी तैनाती की जगह कोई भी हो।

61. **स्थानान्तरित मतदाता** – ऐसा/ऐसी मतदाता, जिसने अपने सामान्यतः निवास वाला स्थान छोड़ दिया हो और किसी दूसरे स्थान पर चला गया/चली गयी हो, और उसके अपने स्थान पर आने की कोई सम्भावना न हो। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को वर्तमान कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाकर ऐसे मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से हटा देना चाहिए।

62. **विशेष मतदाता** – वे व्यक्ति, जो राष्ट्रपति, उप राश्ट्रपति, राज्यपाल आदि पदों पर हैं, उन्हें उस स्थान की नामावली में जोड़ा जाना चाहिए, जहाँ के वे (उनके द्वारा इस उद्देश्य से दिए गए घोषणा पत्र में अंकित पते के अनुसार) सामान्यतः निवासी हैं।

63. **एस.वी.ई.ई.पी.– (सिस्टमेटिक वोटर्स एजूकेशन एण्ड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन या व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन में भागीदारी)** – यह कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा 2011 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है– मतदाता जागरूकता को बढ़ाना, मतदाता पंजीकरण और युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और समाज के अन्य सीमान्त वर्गों को अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करके निर्वाचन में उनकी भागीदारी बढ़ाना।

64. **एकल अहस्तांतरणीय वोट** – यह मतदान की एक पद्धति है, जो

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

eci.gov.in / nvsp.in / ecisveep.nic.in

@ECI @ecisveep @ECIsveep